राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक सत्र की कार्यवाही

ग्यारहवीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १५ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज दिनांक १५ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर, में ८-३५ बजे प्रारम्भ हुई। अध्यक्ष (माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

कटौती प्रस्तावों के क्रम के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री मानसिंहः—माननीय अध्यक्ष, यह जो लिस्ट कट मोशन्स के बारे में हमारे सामने आई है उसमें मैंने परसों जो कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) दिये थे वे अभी तक नहीं आये हैं। जब हम कोई कट मोशन पेश करते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि क्लियर (स्पष्ट रूप से) ४८ घन्टों का नोटिस होना चाहिये। तो हमें भी इस बात का तीन दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिये कि कट मोशन किस ओर्डर में रखे जावेंगे।

माननीय अध्यक्षः--पब्लिक एकाउन्टस कमेटी (जन-लेखा समिति) ने जो ओर्डर (क्रम) इसके लिये तय किया है उसी के अनुसार कट मोशन रख दिये गये। जो डिमान्डस (मांगें) रखी गई वे कल हमें ११-१२ बजे मिलीं, इसलिये ४८ घंटों के बीच में जो नहीं आये उनको लिगेलिटी (न्यायानुकूलता) में, नहीं लिया गया।

श्री मानसिंहः—जब कोई ४८ घन्टे पहले तय नहीं होता है तो फिर परसों।

माननीय अध्यक्षः--ठीक है। ओर्डर वाज फ्रौम पब्लिक एकाउन्टस कमेटी। (ओर्डर पब्लिक एकाउन्टस कमेटी का था)

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—मेरा निवेदन है कि किसी भी दिन का कार्य-क्रम हमारे पास काफी समय पहले पहुंच जाना चाहिये। अकसर हमें यह देखने को मिलता है कि दिन विशेष का कार्य-क्रम उसी दिन सुबह, जब हम यहां हाउस में आते हैं तब मिलता है या उसके एक रोज पहले बहुत समय के बाद मिलता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम यहां से काम समाप्त करके अपने स्थान पर पहुंचते हैं तब हमें उस दिन का कार्य-क्रम मिलता है। मेरा, आपके

मारफत, हाउस से निवेदन है कि इनको ठीक समय भिजवाये जाने का प्रबन्ध किया जावे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—लीडर ओफ दी हाउस ......

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बातें मैंने कहीं उनको मेरे माननीय मित्र ने सुनी नहीं। मैंने यह कहा था कि किसी भी दिन का कार्य-क्रम हमारे पास ४८ घन्टों से पहले आजाना चाहिये। अगर ४८ घन्टे पहले नहीं पहुंचे तो कम से कम २४ घन्टे पहले तो आना ही चाहिये।

माननीय अध्यक्षः — रूल १३३ यह कहता है कि "The demands for grants shall be arranged in such order as the Leader of the House after the advice of the Public Accounts Committee has been taken into consideration may determine."
इस लिए इस हालत में जितना जल्दी हमारे पास डिमान्ड आ सके भेजने की कोशिश करें।

श्री मानसिंहः—मैं आपका ध्यान रूल १३४ की तरफ दिलाना चाहता हूं "Notice of motions to reduce any grant shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion" तो हमारे कोई शुरखाब के पर तो हैं नहीं कि हमको ऐसे ही मालूम हो जावे कि फलां दिन फलां ग्रान्ट आनी चाहिये। इसके लिये हमको.....

श्री कपिलदेवः — ओन दी पोइन्ट ओफ ओर्डर सर, यहां पर "शुरखाब के पर" क्यों और कैसे आ सकता है।

श्री मानसिंहः—हमारा कट मोशन परसों भेजा हुआ कल लेने का हुक्म........

माननीय अध्यक्षः—इफ दे आर इन टाइम (यदि वे समय पर हों)

श्री मानसिंहः—यह पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की या हाउस (सदन) के सेक्रेट्री (सचिव) की गफलत है। इसमें हमारी तो कोई गफलत नहीं है। आप इस पर गौर करें।

श्री जसवन्तसिंहः—जो बातें हो रही हैं उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर हम सब की अपील यह है कि कागजात (एजेन्डा) काफी समय पहले हमें मिल जाने चाहिये। अगर नहीं मिलते तो हम उस पर कुछ गौर भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जिस रोज एसेम्बली (विधान सभा की बैठक) होती है उसी दिन यहां आने के पहले हमें एजेन्डा (कार्यावली) मिलता है कभी कभी एसेम्बली का काम खत्म होने के बाद में एजेन्डा मिलता है। जो हुआ सो हुआ। इसके लिये आइन्दा ऐसा प्रबन्ध किया जावे कि एजेन्डा दो दिन पहले हमें प्राप्त हो। यही इन्तजाम हम चाहते हैं।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

माननीय अध्यक्ष:—अब प्रश्न लिये जाते हैं।

प्रश्न संख्या ३. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--

Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state:—

(1) What particular directions have been given by the President in regard to the General Control of this State Under Article 371 of the Constitution of India ?

(2) Have the Advisers been appointed under this power by the President ?

(3) Have the appointments of Officers from the Indian Administrative Service been made by the President or by the Government of this State ?

(4) Have any steps been taken by the Government of this State Under the proviso of the said Article 371 ?

(5) Is the appointment of the Inspector-General of Police and some of the Secretaries to the Government also made under the said Controlling Power ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–क्या मुझे अपना प्रश्न पढ़ना चाहिए ?

माननीय अध्यक्ष:–पढ़ने की कोई जरूरत नहीं ।

माननीय अध्यक्ष:–क्वेश्चन नम्बर थ्री (प्रश्न संख्या १)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–

१. जहां तक मेरा खयाल है इस संबन्ध में कोई विशेष आदेश नहीं दिये गये हैं।

२. एडवाइजरों की नियुक्ति राजप्रमुख ने स्टेट मंत्री की सलाह से की है।

३. इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति मूलतया भारत सरकार करती है ।

४. ....कोई कार्यवाही नहीं की।

५. आई० जी० पी० आदि की नियुक्ति राजस्थान सरकार करती है। ये स्टेट मिनिस्ट्री के कन्सल्टेशन (परामर्श) से की जाती है।

श्री किशनलाल शाह:--क्या डिप्टी सेक्रेट्रीज भी इस आ० स० ३७१ के मातहत आते हैं जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, जिसके लिये करेन्ट इयर (वर्तमान वर्ष) में ३५ हजार रुपया रख गया है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--डिप्टी सेक्रेट्रीज का ३७१ आर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री किशनलाल शाह:--फिर बेकार इतने आदमियों को क्यों रक्खा जाता है।

श्री जसवन्तसिंह:-पेरा ४ का जो जवाब दिया गया है उसके संबन्ध में मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट का विचार है कि इस आर्टिकल (अनुच्छेद) के आधीन कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को करेगी।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इस विषय पर सरकार सोच रही है।

श्री जसवन्तसिंह:--पैरा दो के जवाब के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, मेरे माननीय मित्र से कि एडवाइजरों की नियुक्तियां क्या राजप्रमुख स्टेट मिनिस्टर की सलाह से करते हैं? क्या ये कान्स्टीट्यूशन (संविधान) के आधीन है या एडहॉक (एतदर्थ) तरीके से की जाती है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--एडहॉक का कोई सवाल नहीं। भारत सरकार को कुछ अधिकार है। उन अधिकारों के अनुसार वह नियुक्ति करने की सलाह देती हैं और यदि वह सलाह राजस्थान सरकार को मान्य होती है तो मान ली जाती है, नहीं तो जवाब दे देते हैं।

श्री मानसिंह:--क्या पुलिस के जो अफसर बाहर से आये हैं यदि वे इस आर्टिकल के आधीन नहीं आते हैं तो फिर यहां पर योग्य व्यक्तियों के होते हुए उन्हें अब तक यहां पर क्यों रक्खा जाता है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इन ओफिसरों का इस आर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। राजस्थान में योग्य ओफिसरों के मिलते हुए बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं; यह ठीक है। लेकिन हमारे यहां ओफिसरों की कमी है और उस आवश्यकता को पूरा करने लिये बाहर से बुलाने पड़ते हैं।

श्री मानसिंह:--मैंने सुना है कि चार एस० पीज० बाहर से और आ रहे हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--एडवाइजर्स जो फंक्शन (कार्य) कर रहे हैं और जैसी स्थिति आज उनकी है वह आगे नहीं रहेगी। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने इस बात को माना है कि बंधी हुई स्थिति में उनके कार्य बहुत सीमित रहेंगे सिर्फ सलाह देने तक।

श्री मथुरादास माथुर:--How many Councillors will remain in Rajasthan.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--आगे से केवल एक कौन्सिलर राजस्थान में रहेगा।

प्रश्न संख्या ४

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--Is the Hon'ble Chief Minister aware that recently the Cabinet of the Central Government have decided to the effect that the Advisers in Part B States would function only as observers and not as advisers?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--भारत सरकार के ठीक प्रकार के निर्णय से जानकारी। नहीं मेरी जानकारी में यह जरूर है कि भारत सरकार ने भविष्य के लिए सलाहकारों के कार्य तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के आपसी संबन्धों के विषय में कुछ निर्णय किये हैं। उन सबका आशय यह है कि कौन्सिलर्स आगे से केवल उन विषयों में राज्य सरकारों को सलाह देंगे जिनमें राज्य सरकार उनकी सलाह चाहेगी अन्य शासन के कार्यों में उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर:-आर कौन्सिलर्स और एडवाइजर्स इनवाइटेड बाइ दी गवर्नमेन्ट (क्या सलाहकार और परामर्शदाता सरकार द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं?)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--दे आर इनवाइटेड बाई दी गवर्नमेन्ट। (वे सरकार द्वारा आमन्त्रित किये गये हैं)

श्री मानसिंह:--राजस्थान म एक कौंसिलर होगा; यह मुख्य मंत्री ने फरमाया कौंसिलर्स बुलाये जायेंगे; इसका क्या मतलब ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--माननीय सदस्य ने ठीक नहीं सुना। सब "बी" स्टेट्स के लिए एक ही नीति है।

श्री कानसिंह:--आर दी एडवाइजेज ऑफ दी कौंसिलर्स बाइन्डिग आन दी गवर्नमेन्ट

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--नोट एट ऑल (बिलकुल नहीं)

श्री मथुराद माथुर:--विल दी चीफ मिनिस्टर······क्या मुख्य मंत्री

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—श्योर (अवश्य)

श्री जसवन्तसिंहः- अध्यक्ष जी समझ में नहीं आया गुलाबचन्दजी ने क्या पूछा?

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—माननीय नेता के सामने क्या प्रश्नों की प्रतिलिपि नहीं है। क्या यह मान लूं कि वे पढ़ नहीं सकते ?

माननीय अध्यक्ष-सदस्यों को प्रश्न का नंबर बोलना लाजमी होता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—वामपक्ष के नेता ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है मुझे अपने प्रश्न को बोलने की आवश्यकता नहीं।

श्री जसवन्तसिंहः—प्रश्न का नम्बर बोलना लाजमी हो जाता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—प्रश्न का नम्बर माननीय स्पीकर महोदय ने बोल दिया था।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—मेरा ख्याल है और मैं समझता हूं कि सदस्यों की सहूलियत के लिए ठीक होगा कि प्रश्न पढ़े जायं।

माननीय अध्यक्षः—क्वेश्चन नम्बर (प्रश्न संख्या) बोल देना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहः—मेम्बरान के अलावा पब्लिक के लोग भी व पत्रकार भी एकत्रित हैं। उनकी इनफोरमेशन के लिए अगर सवाल पढे जायं तो क्या हर्ज होगा।

माननीय अध्यक्षः—यह परिपाटी नहीं

प्रश्न संख्या ५

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल :— Is the Hon'ble Chief Minister aware that the Legislature of one of the Part B States have resolved to apply to the President for the exemption of that State from the operation of Article 371 ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-अध्यक्ष महोदय मेरी जानकारी में ऐसी कोई बी स्टेट की असेम्बली नहीं जिसने इस तरह का प्रस्ताव पास किया हो।

पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया।

प्रश्न संख्या ६

श्री माधोसिंहः—Will the Hon'ble the Chief Minister be pleased

to State—

(1) As to what steps have been taken by Rajasthan Government to take Abu back to its original State of Rajasthan.

(2) If steps have been taken what reply they have received from Central Government.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कुछ महिने पहले आबू को वापिस लेने के लिए एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजा था भारत सरकार ने उसका उत्तर भी दिया है जिसमें उन्होंने विधान की धारा ३१ की ओर ध्यान दिलाया है । और यह बताया गया है कि राज्य में धारा सभा बनने तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता । अब धारा सभा बन गई है अतः सरकार का विचार है कि आबू को वापिस लेने के बारे में शीघ्र ही हाउस के सामने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा ।

श्री माधोसिंह:–शीघ्र से हम क्या मतलब समझें।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–इसी सेशन में ।

(हियर हियर)

प्रश्न संख्या ७

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–१. राजस्थान के एकीकरण के बाद २५०) रु० से ज्यादा तनख्वाह पानेवाले कुल कित ऑफिसर्स सरप्लस हैं?

२. वे कब से सरप्लस हैं, इस अर्से में इसी ग्रेड में कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं ?

३. क्या सरकार ने इन बे-रोजगार ओफिसरों को काम पर लगाने की कोई व्यवस्था की है ?

४. यदि व्यवस्था की है तो कब तक काम पर लगाऐंगे?

५. ऐसी क्या व्यवस्था की है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय प्रश्न के प्रथम भाग के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सर्पलस ओफिसर्स १७ हैं ।

उप–प्रश्न दो के बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान बनने के बाद करीब ७३ ओफिसर्स २५०)रु० अथवा इससे अधिक वेतन पर नियुक्त किये गये जिनमें से अब केवल ५२ ही सर्विस पर हैं ।

कुछ मेडिकल कॉलेज, रिलीफ रिहेबिलिटेशन आदि में भी काम कर रहे हैं ।

उप-प्रश्न तीन विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि इनमें से दूसरे डिपार्टमेन्ट के जो हैं उनके विषय में अब दुबारा निर्णय होगा ।

१७ ओफिसर्स जो सरप्लस हैं उनमें १५ दूसरे डिपार्टमेन्ट के हैं । सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं किया है और इसकी वजह से ही वे सर्प्लस हैं ।

दूसरे डिपार्टमेन्ट खोलने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बिठाई है । उसकी रिपोर्ट आने पर यह बतलाया जा सकेगा कि उनकी स्थिति क्या होगी । बाकी दो ओफिसर्स, एक श्री धारीवाल हैं जो राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस में और श्री गणेशसिंह आर० एस० में हैं । उनके परिणाम भी मालूम होने वाले हैं । इस समय कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहां पर कि इनको लगाया जा सके । इस बीच में यदि कोई नई जगह खाली हुई तो विचार किया जायगा ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:--क्या सरकार उनको कहीं लगाने का प्रयत्न कर रही है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--मैं समझता हूं कि मेरा उत्तर काफी था । जगह होने पर उनको अवश्य काम दिया जायगा ।

श्री भवानीसहाय:--जब तक उन्हें काम पर नहीं लगाया जायगा उन्हें तनख्वाहें मिलती रहेंगी ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--जब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जायगा उन्हें तनख्वाहें मिलती रहेंगी ।

श्री घीसीसिंह:--क्या यह फिजूल-खर्ची नहीं है कि सर्प्लस पर बैठे हुओं को भी तनख्वाहें मिले और काम पर लगे हुओं को भी तनख्वाहें मिलें ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इसीलिए कोशिश यह की जा रही है कि या तो उन्हें जल्दी से जल्दी किसी काम पर लगाया जाय अथवा पेंशन आदि देकर अलग किये जांय ।

श्री कानसिंह:--क्या १७ ओफिसर्स हैं उनके पास कोई सिफारिशें नहीं थी ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-मैं समझता हूं कि सिफारिशों की ओफिसर्स को आवश्यकता नहीं होती ?

प्रश्न संख्या ८

श्री गुरूदयालसिंह सन्धुः--क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगेः–

१. जिला गंगानगर सीमा पर होने के कारण क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा असला देगी ?

२. और उपरोक्त कारण से क्या सरकार लाइसेंस जारी करने में नरमी बरतेगी ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–अध्यक्ष महोदय मेरे पास जो प्रश्न हैं वह साफ नहीं है । प्रश्न माननीय सदस्य का है कि जिला गंगानगर सीमा पर होने के कारण क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा असला देगी ।

सीमा पर भी और सभी जगह असला देने के लिए विशेष नियम बने हुए हैं उनके आधीन असला दिया जा सकेगा और दिया जाता रहेगा ।

इसके दूसरे भाग के बारे में मुझे निवेदन करना है कि लाइसेंस देने में विशेष नरमी का कोई प्रश्न ही नहीं है । लाइसेंस के जो नियम हैं आवश्यकता पड़ने पर उसके अनुसार लाइसेंस दिए जायेंगे; इसमें कोई विशेष नरमी का सवाल ही नहीं है ।

एक माननीय सदस्यः–अब तक कितने लाइसेंस दिए जा चुके हैं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री कपिलदेवः–गंगापुर पाकिस्तान का पड़ोसी होने की वजह से क्या वहां रेड्ज़ (धावे) होते रहते हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--आखिरकार जिस प्रकार का सम्बन्ध हमारा अपने पड़ोसी देश का है उसके अनुसार रेड्ज (धावे) होते हैं । जहां २ पर बोर्डर हैं वहां ऐसा होता ही है ।

श्री कपिलदेवः--इस साल कितने ऐसे रेड्ज (धावे) हुवे ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--इसके लिए तो नोटिस चाहिए ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धुः–जब आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं तो गवर्नमेन्ट कोई खास असला क्यों नहीं बढ़ाती, और लोगों को लाइसेन्स क्यों नहीं दिया जाता ।

माननीय अध्यक्ष:--नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ६

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या उनके ध्यान में यह बात है कि रिश्वत रोज रोज बढ़ रही है। मिसलें व दरख्वास्तें, रिश्वत न देने पर महिनों तथा सालों तक दबा कर रखी जाती है?

(२) क्या सरकार रिश्वत की रोकथाम के लिये कोई कदम उठाएगी?

(३) क्या सरकार मिसलों व दरख्वास्तों के फैसले के लिये कोई समय निश्चित करेगी?

उत्तर

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि रिश्वतखोरी चल रही है। सरकार इस ओर सख्त कदम उठाना चाहती है। हमने एक इफेक्टिव एन्टीकरप्शन ओरगेनिजेशन (प्रभावयुक्त भ्रष्टाचार विरोधी संगठन) कायम करने का विचार किया है और जल्दी ही कायम करेंगे।

प्रश्न के भाग (३) के बारे में अर्ज है कि यह ठीक है कि केसेज के डिसाइड (मामलों के निर्णय) करने में देरी होती है। सरकार प्रयत्न करना चाहती है कि जल्दी से जल्दी केसेज (मामलों) का निर्णय हो और जो अफसर अत्यधिक देरी करे उसे दंड दिया जाय। इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन निर्णय के लिये अवधि का बतलाना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि हरएक केस की अलग अलग किस्म होती है। किसी में ज्यादा समय लगता है तो किसी में कम समय लगता है; इसलिये अवधि का निर्णय करना तो कठिन है परन्तु जहां तक बन सकेगा जल्दी निर्णय करवाये जाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री कपिलदेवः--क्या सरकार को मालूम है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट (राजस्व विभाग) और अन्य दूसरे विभागों में जो सेक्रेटेरियट (सचिवालय) में हैं, एक एक विभाग में तीन चार हजार कागज दो तीन बरसों से पेन्डिग (विचाराधीन) पड़े हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नोटिस चाहिये तभी एग्जेक्ट (ठीक) उत्तर दिया जा सकता है।

श्री कपिलदेवः--दि एग्जेक्ट (ठीक) संख्या न बता सकें तो वैसे ही बता दें?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—वैसे ही बताने के लिये भी नोटिस चाहिये।

प्रश्न संख्या १०

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

क्या सरकार ने नौकरियों में हरिजनों के लिये कोई कोटा या प्रतिशत रखा है ? अगर रखा है तो गत वर्ष निम्नलिखित सर्विसों में कितने हरिजन रखे गये :—

(अ) चौथे दर्जे की नौकरी
(आ) क्लर्क्स और
(इ) गजेटेड अफसर ?

उत्तर

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने हरिजनों और कुछ अन्य जातियों के लियों सरकारी नौकरियों में पहले से ही नौकरियें निश्चित कर ली है। सभी सर्विसेज में साढ़ह बारह परसेन्ट (प्रतिशत) उनके लिये रिजर्व (सुरक्षित) रखी गई हैं और क्लास चार में १५ प्रतिशत स्थान रिजर्व किये गये हैं । अलबत्ता हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियें) और शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनसूचित वन जातियों) में अलग अलग तनखा नियत नहीं की गई है । संख्या के बारे में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सम्पतराम:—यदि कोई अफसर इन शर्तों को नहीं मानता है तो सरकार इसके बारे में क्या कदम उठायेगी ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—सरकार पहले इसके बारे में मालूम करायेगी।

श्री कपिलदेव:—जिस प्रश्न के बारे में यह कहा जाता है कि इसके लिये नोटिस चाहिये उनके लिए नोटिस की कोई तारीख मुकर्रर की जायगी या वह सवाल ही खतम हो गया समझा जायगा । यह तो गलत तरीका होगा कि हर सवाल के लिये कहा जाय कि इसके लिये पूर्व नोटिस चाहिये । इस तरह से तो उत्तर दिये ही नहीं जायेंगे ।

प्रश्न संख्या ११

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

जयपुर तहसील, थाना बसी के गढ़ चपड़िया गांव के हरिजनों के साथ एक विशेष जाति के लोगों द्वारा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने और जेवर पहिनने पर जो मार पीट हुई, उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कोई कार्यवाही की ? अगर नहीं तो क्यों ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास इस प्रकार की किसी घटना की सूचना नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्रीः–इस सम्बन्ध में पुलिस के सामने रिपोर्ट पेश की गई थी । मैं खुद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से मिला था और उनसे मेरी बातचीत हुई थी । यह कहना कि इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई उचित नहीं है । यदि हाउस चाहेगा तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं ।

प्रश्न संख्या १२

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्रीः–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

श्री समजदास महाराज हरिजन कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ, जयपुर–चाकसू चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दिनों में देवगांव के पास (तहसील जयपुर, थाना बसी) एक विशेष समुदाय द्वारा रात्रि के १२ बजे मार पीट की गई, उनका सामान छीना गया । क्या पुलिस ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की? अगर नहीं तो क्यों ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाली सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्रीः–इस सम्बन्ध में सारी सूचनाएं उनके पास है और यदि चाहें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं।

प्रश्न संख्या १३

श्री तेजमल बापनाः–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेः–

(१) राजस्थान की विभिन्न रियासतों के राजाओं को एकीकरण के बाद कितनी रकम प्रिवी पर्स में दी जाती है ?

(२) इस प्रिवी पर्स का कितना हिस्सा केन्द्रीय सरकार देती है ?

(३) कितना (हिस्सा) राजस्थान सरकार को देना पड़ता है?

(४) इस प्रिवी पर्स की सारी रकम केन्द्रीय सरकार को देने में क्या आपत्ति है ?

उत्तर

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–जिन भूतपूर्व शासकों को प्रिवी पर्स दिया जाता है उसकी लम्बी सूची है । आप की आज्ञा हो तो पढ़कर सुनादूं या टेबल पर रख दूं ।

माननीय अध्यक्ष:—जवाब टेबल ओफ दी हाउस पर रखदें। (परिशिष्ट १ देखिये)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि बीकानेर नरेश के रुपये अब १० लाख सालाना कर दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य:—अध्यक्ष महोदय सुनाई नहीं दे रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री क्या कह रहे हैं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मुझे निवेदन करना है कि बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा के बाद नये महाराजा के प्रिवी पर्स की रकम घटा कर १० लाख रुपया सालाना कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य:—पहले उनको कितनी रकम मिलती थी।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—पहले १७ लाख रुपये मिलते थे।

प्रश्न संख्या १४.

श्री तेजमल बापना:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या राजस्थान सरकार ने किन्हीं मार्गों (रूट्स) को नेशनेलाइज करने का निश्चय किया है ?

२. यदि किया है तो कौन कौन से मार्गों का ?

३. क्या इस निमित्त बसें भी खरीदीं गई है ?

४. यदि खरीदी गई हैं तो कितनी खरीदी गई हैं ?

५ वे बसें कहां कहां चल रही हैं ?

माननीय टीकाराम पालीवाल:--राजस्थान सरकार ने रूट्स को नेशनेलाइज (राष्ट्रीय-करण) करने का निर्णय नहीं किया है।

२. यह प्रश्न उठता ही नहीं।

३. एक वर्ष पूर्व १३ बसें खरीदी गई थी और उनको सरकारी काम पर लगाया गया है।

४. १३.

५. यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री तेजमल बाफना:--जब सरकार का इरादा रूट्स नेशनेलाइज करने का नहीं था तो फिर बसें क्यों खरीदी गई ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--पहली सरकार की योजना थी और वह योजना पूरी नहीं की गई ।

श्री कपिलदेव:--क्या उसमें से एक बस मेम्बरों को लाने के लिये दी जा सकती है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल . . . .

श्री तेजमल बाफना:--ये कहां कहां चल रही है; उत्तर साफ नहीं था ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--जहां जहां सरकारी काम हैं वहां काम आती रही हैं ।

श्री मानसिंह:--कुछ दिनों तक हमने उन बसों को सेक्रेट्रिएट में पड़ी देखा था-क्या वहां पर वे सरकारी काम कर रही थीं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल: पड़ी नहीं थी खड़ी रही थीं ?

श्री मानसिंह:--क्या वे वहां दिन भर पड़ी रहती थीं और रात को काम पर जाती थी और रात भर सरकारी काम करती होगी ।

माननीय अध्यक्ष:--ओर्डर ओर्डर ।

श्री भीमसिंह:--क्या बस सर्विस को नेशनेलाइज (राष्ट्रीयकरण) करने में सरकार घाटे की उम्मेद करती है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जांच करने के बाद मालूम होगा ।

श्री भीमसिंह:--अगर नेशनेलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) प्रान्त के लिये फायदेबन्द नजर आया तो क्या उसे किया जावेगा ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--आपका इस प्रकार फायदेबन्द कहने से क्या मतलब है ।

श्री भीमसिंह:-- . . . .

श्री जसवन्तसिंह:--इन बसों को खरीदने में क्या कीमत लगी है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इसके लिये नोटिस चाहता हूं ।

श्री जसवन्तसिंह:--क्या इस पर लाखों रुपये लगे ? क्या सरकार ने इनको खरीदने से पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनको काम में लिया जावेगा या नहीं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--जिस सरकार ने योजना बनाई थी कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी ।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सिर्फ ये बसे इसलिये खरीदी थी कि मोटर टैक्स जितना भी बढ़ाया जा सके बढ़ाया जावे ?

माननीय अध्यक्ष:--ओर्डर ओर्डर ।

प्रश्न संख्या १५

श्री तेजमल बाफना:--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

१. भीलवाड़ा स्थित मेवाड टैक्सटाइल मिल मजदूर संघ के बीच जो कसमकस पिछले ढाई वर्ष से चल रही है उसके प्रति सरकार क्या कदम उठा रही है ?

२. श्री जोरावर भाई, एक मजदूर, के संम्बन्ध में ट्रिब्युनल द्वारा किया गया फैसला, जो ८ फरवरी, १९५१ के गजट में भी प्रकाशित हो चुका है कि उसे एक सप्ताह के अन्दर नौकरी पर वापिस ले लिया जाए और एक माह के अन्दर उसका बाकी वेतन दिला दिया जाए, को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

३. यदि ऐसा किया जा रहा है तो सरकार इसके प्रति क्या कदम उठा रही है ?

४. दूसरे मजदूरों की शिकायत पर, जो ट्रिब्यूनल के सामने पिछले छः महिने से जेर कार्यवाही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ?

५. सरकार ने क्या ऐसे मुकद्मों के लिये कोई अवधि निश्चित की है ?

६. यदि की है तो वह कितने समय की है ?

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--सरकार इसके लिये कानूनी कदम उठा रही है; ट्रिब्युनल के विचाराधीन है ।

श्री जसवन्तसिंह:--इसका क्या कारण है कि इस तरह की कसमकस चल रही है ?

माननीय श्री अमृतलाव यादव:--इसी प्रकार के झगड़े आपस में चलते रहते हैं ।

श्री जसवंतसिंह:--इस मामले में कस मकस का खास कारण क्या हैं ?

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--जो कुछ कसमकस होती है वह ट्रिब्यूनल के द्वारा तय होती है और उसे ट्रिब्युनल तय करती है । सरकार उसके फैसले को कार्यान्वित करने में कार्यवाही करती है । जो मामले आपसी कन्सल्टेशन (सलाह) से साफ नहीं होते उनको ट्रिब्यूनल में भेज दिये जाते है और उसका काम होता है कानून के माफिक उन्हें देखना ।

एक सदस्य:--क्या आज तक ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया उस पर पूरी तरह से अमल किया गया।

माननीय श्री अमृतलाल यादव:—अभी तक भीलवाड़ा में ट्रिब्युनल द्वारा जो फैसला हुआ है उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। उसके लिये सिटी मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी है, उसकी अदालत में उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया गया है।

श्री तेजमल बापना:—मेरे प्रश्न के भाग ३, ४, ५, ६ हिस्से हैं उनका जबाब शायद नहीं मिला है।

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--इसके लिये सरकार ने समय निश्चित नहीं किया है। और भाग ६. का सवाल पैदा ही नहीं होता।

प्रश्न संख्या १६

श्री मानसिंह:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आयोजित समारोह में, जिसमें माननीय गोपाल स्वामी आयंगर का भाषण हुआ था, सदन के सदस्यों को कुछ मामूली सरकारी अधिकारियों एवं कांग्रेसी लोगों के मुकबाले में नीचे स्थान दिया गया जिसकी जनता में आम चर्चा है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—माननीय अध्यक्ष, मैं सदन के सामने यह बतला देना चहता हूं कि यह एक साधारण सी बात थी। जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया गया था उस दिन बाहर से मंत्री आये हुए थे। राजस्थान दिवस पर हमारे मुख्य महमान, मिनिस्टर इन्चार्ज ओफ दी स्टेट मिनिस्ट्री थे। उनके भाषण का आयोजन किया गया था। प्रश्न के प्रथमांश में सरकारी कर्मचारीगण एवं कांग्रेसियों के स्थान ग्रहण पर आपत्ति की गई है। इस विषय के प्रश्न पर मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को मुख्य मंत्री तथा भारत सरकार के राजकीय मंत्री के आंगन (Terrace) से नीचे वाले दालान में बांई और के अर्द्ध भाग में "बी" ब्लोक में बिठाया गया था। इसके अतिरिक्त समारोह के अभिप्राय के हेतु जिन कर्मचारियों की अविलम्ब उपस्थिति अनिवार्य थी अथवा माननीय मुख्य मंत्री तथा भारत सरकार के रियासती विभाग के माननीय मंत्री के समक्ष उपस्थिति आवश्यक थी, उसही आंगन पर स्थान दिया गया था जहां उक्त माननीय मंत्रीगण ने स्थान ग्रहण किया था।

दूसरा प्रश्न है सदन के माननीय सदस्यों को कांग्रेसजनों से नीचे स्थान का दिया जाना। इस विषय पर मैं यह बता देना चाहूंगा कि राजस्थान के भूतपूर्व मंत्रीगण तथा कांग्रेस अध्यक्ष को, जो कि एक भूतपूर्व मंत्री ही थे, ऊपर के आंगन में बिठलाया गया था।

यह भी विदित रहे कि ऊपर वाले आंगन में सदन के माननीय सदस्यों के सामूहिक रूप से बिठाने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं था और स्थानाभाव के कारण यह अनिवार्य था कि उनको ऊपर तथा नीचे वाले आंगनों में विभाजित किया जाता। मेरा विचार है कि उस अवस्था में तो वर्तमान प्रश्न से कहीं ज्यादा आपत्तिजनक नीचे और ऊंचे स्थान पर बिठाने के प्रश्नों के उठने की संभावना ही थी। इस संबन्ध में यह तो कहा ही जा सकता है कि सदन के सदस्यगण समारोह को काफी निकट से देख सके थे।

इसके उपरान्त सदन के माननीय सदस्यगण को मैं प्रबल आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उनको सरकारी कर्मचारियों के अपेक्षाकृत नीचे स्थान पर आसीन करने का विचार न था और न कभी हो ही सकता है। समस्त सरकारी कर्मचारीगण को पूर्ण-रूपेण विदित है कि उनकी ओर से सदन के सदस्यगण को जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक अवस्था में उचित स्थान एवं प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकारी कर्मचारी जन साधारण की सेवा करना अपना पूर्ण कर्तव्य महसूस करते हैं।

प्रश्न के द्वितीयांश के संबन्ध में यह बता देना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वास्तव में चर्चा का विषय श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का था; न कि सदन के माननीय सदस्यों के बिठाने की बात।

श्री माधोसिंह:—क्या मंत्रियों के अलावा दूसरे भी लोग डाएस पर थे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मुझे यह मालूम नहीं। मुझे यह मालूम है कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर वहां थे।

श्री माधोसिंह:—जब दूसरे सभी ब्लोक में थे तो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर वहां क्यों थे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मैंने जैसा पहले कहा है कि स्थानाभाव के कारण सारे सदस्य गण वहां पर बिठाये नहीं जा सकते थे। इसलिये कुछ सदस्यों को कहीं और कुछ को कहीं स्थान देने से सरकार ने यह उचित समझा कि सब को एक ही जगह स्थान दिया जाए और इसी लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया। भूतपूर्व मुख्य मंत्री वहां इसलिये थे कि स्टेट मिनिस्टर उनसे कुछ बातें करना चाहते थे।

प्रश्न संख्या १७.

श्री कपिलदेव:—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का माहवारी खर्चा क्या है ?

२. क्या यह सही है कि मार्च सन १९५२ की म्युनिसिपल कौंसिल के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये उक्त म्युनिसिपल कौंसिल के पास पैसा नहीं है ?

३. यदि पैसा नहीं है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--१. जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल का माहवारी खर्चा ८०,५७१) रुपया है ।

२. इसका उत्तर ना में है ।

३. जब दूसरे का उत्तर ना में है तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

प्रश्न संख्या १८.

श्री चांदमल मेहता:--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

नव निर्वाचित सरवाड़ नगरपालिका को कब तक सत्ता हस्तान्तरित किये जाने की संभावना है । मौजूदा समय में उसका शासन गवर्नमेन्ट के हाथ में हैं । चुनाव हुए चार मास से अधिक हो चुका है ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--सरवाड़ नगरपालिका के चुने हुए सदस्यों के नाम सरकारी गजट २५-३-५२ में प्रकाशित किये जा चुके हैं । कलेक्टर जयपुर को लिखा जा चुका है । ज्योंही हरिजन और महिला सदस्य का चुनाव होकर इत्तिला आ जावेगी, नये सदस्यों को सत्ता हस्तान्तरित कर दी जावेगी ।

श्री चांदमल मेहता:--गजट में इतनी देरी से क्यों शाया किया गया । क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--ज्योंही हमारे पास इसकी इत्तिला आई हमने नेक्स्ट गजट में उसको शाया कर दिया ।

श्री चांदमल मेहता:--क्या चुनाव की इत्तिला ३।। महीने बाद प्राप्त हुई ।

श्री नाथूराम मिर्धा:--हां

श्री किशनलल शाह:--जिस शख्स ने इतनी देरी से इत्तिला दी क्या सरकार उसके खिलाफ कदम उठाएगी ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--जरूर उठाएगी ।

श्री किशनलाल शाह:--इतने दिन तक क्यों नहीं उठाया ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:-नोटिस में नहीं लाया गया ।

एक सदस्य:--क्या ऐसे और भी मामले हैं जो सरकार के नोटिस में नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या १९.

माननीय अध्यक्षः—नेक्स्ट

Shri Madho Singh (D. No 90) Will the Hon'ble Minister for Health be pleased to State.

(1) Whether the promises to fulfill the demands of Jodhpur Compounders & Nurses Union given by the Government have been fulfilled or not ?

(2) If not, Why?. (16)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः-

(१) सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(२) पैदा ही नहीं होता।

श्री माधोसिंहः—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः—ऐसी कोई बात नहीं।

श्री माधोसिंहः—क्या हम यह समझें कि जो आश्वासन सरकार की ओर से लिखित रूप में नहीं दिये जाते हैं वे आश्वासन नहीं समझें जांय ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री जसवन्तसिंहः—नर्सों व कम्पाउन्डरों के साथ भूतपूर्व मंत्रीगण से उनके सदस्यों ने बातचीत की थी ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—सरकार को इल्म नहीं।

श्री किशनलाल शाहः—क्या जोधपुर के कम्पाउन्डरों और नर्सों की कुछ मांगे नहीं थीं ? अगर थीं तो क्या वे सरकार के विचाराधीन हैं ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—उनकी कुछ मांगे हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री किशनलाल शाहः— सरकार से इस बारे में बातचीत की गई थी क्या वह माननीय मंत्री को मालूम नहीं ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—जो बातचीत हुई थी वह मालूम नहीं।

श्री किशनलाल शाहः—भूतपूर्व मंत्री से, जो नेगोशियेशन्स हुए थे वे सदन में उपस्थित हैं। वे इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा हो।

श्री मानसिंह:—क्या हम यह आशा करें कि सवाल पूछ कर जो इन्फोरमेशन (सूचना) पूछ लेते हैं इस तरह से प्रश्नों को टाल देना ठीक हो हमारे नोटिस में अगर कोई बात न हो तो सरकार को कुछ मालूम कर, सरकार ऐसी बातों की पूरी इन्फोर्मेशन गेदर करे। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं, आज नहीं तो एक दो दिन के अन्दर, कि इसका जवाब दिया जायगा।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—जितने सवाल सरकार से किये जाते हैं उतनों का ही जवाब दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २०

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान में कितनी ऑइल मिल्स हैं ?
२. इनमें से कितनी ऑइल मिल्स ऐसी हैं जिन पर राज्य ने, आयात एवं निर्यात कर (कस्टम ड्यूटी) माफ कर रक्खी है ?
३. इस भेद भाव को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—

१. राजस्थान में ४३ ऑइल मिल्स हैं।
२. १५ ऐसी मिलें हैं जिनको आयात-निर्यात पर कस्टम ड्यूटी माफ कर रक्खी है।
३. यह रियायत राजस्थान बनने से पहले भिन्न २ रियासतों द्वारा दी गई थी। इस विभिन्नता का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जल्दी से जल्दी सब ऑइल मिल्स को समान किया जायगा।

श्री कपिलदेव:—अवधि कोई निश्चित की गई है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—मैं समझता हूं बहुत जल्दी होगी ?

एक माननीय सदस्य:—यह भेद-भाव क्यों किया गया ? और हरेक के साथ ब्रदरली (भाई चारे) व्यवहार क्यों नहीं किया गया ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:— ·············

प्रश्न संख्या २१

श्री मोतीराम:—क्या माननीय अर्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

१. जिला गंगानगर से सरकार को वार्षिक क्या आय है ?

२. किस २ विभाग में क्या व्यय होता है ?

३. गंगानगर जिले में ट्रेफिक से क्या आमदनी हो रही है ?

४. गंगानगर जिले में सडकों के निर्माण में क्या खर्चा हो रहा है ?

५. उनके ध्यान में यह बात है कि गंगानगर, करनपुर, रायसिंहनगर में वाटर वर्क्स के लिए बीकानेर राज्य ने ४० लाख रुपये जो मन्जूर किये थे यह रकम अभी तक क्यों खर्च नहीं की गई ?

६. इस विषय में कबतक खर्च करने का सरकार का विचार है ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:-आय और व्यय के आंकड़े सारे स्टेट के दर्ज किये जाते हैं। गंगानगर जिले से सरकार को आय है;उसमें से कितना उस पर व्यय होता है यह कुल आंकड़ों की छानबीन करने से मालूम हो सकता है। व्यय को मालूम करने के लिए, गंगानगर में यदि आंकड़े नहीं मिले तो डिविजन के हैडक्वार्टर से इसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जिले पर कितना व्यय हुआ; जिले को पूरा नतीजा मालूम नहीं हो सकता।

२. यह प्रश्न साफ मालूम नहीं पडता। माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि वे किस विभाग के व्यय की जानकारी की उम्मीद करते हैं।

३. यह अभी नहीं बता सकता हूं।

४. सड़कों के निर्माण में व्यय के आंकड़े इकट्ठे करने में समय लगेगा।

५. उनके ध्यान में यह बात है ।

६. इस संबन्ध में पुराने कागजात देखूंगा, अगले सेशन तक स्थिति बता सकूंगा।

श्री मोतीराम:-एक भी सवाल का जवाब ठीक नहीं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि साधारण आमदनी क्या है ? और ट्रेफिक को अच्छी तरह रखने के लिए क्या व्यय किया जाता है ?

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:-"ट्रेफिक" एक ऐसा शब्द है जिसमें मोटर, घोड़ा, गाड़ी, अदि सब आ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य का इससे क्या मतलब है ?

श्री मोतीराम:-ट्रेफिक टेक्स लगता है मोटरों पर, लारियों पर हमारे माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान होना चाहिये।

३. अनुदानों के लिये अभियाचनाओं पर मतदान

अनुदान संख्या ८--२५ सामान्य प्रशासन

माननीय अध्यक्षः-सदन के सामने अब अभियाचन के अनुदान के ऊपर विवाद होगा। इसकी अनुसूची सब माननीय सदस्यों को दी गई है। मैं वक्ताओं से यह चाहूंगा कि मूव (प्रस्ताव) सहित १५ मिनिट से ज्यादा न बोलें और जवाब देने वाले सरकारी पक्ष के २० मिनिट से ज्यादा न बोलें।

श्री जसवन्तसिंह:--अध्यक्षजी यह आदेश वक्ताओं को मिला कि वे १५ मिनिट से ज्यादा न बोलें; लेकिन सरकारी वक्ताओं के लिए जो २० मिनिट रखे गये जवाब देने में, वह समय कम होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस समय के अन्दर सारे वक्ताओं को जवाब उचित रूप से नहीं दिये जा सकेंगे। तो होगा यह कि समय की कमी की वजह से मंत्रियों को यह कहने का मौका मिल जायगा कि समय न मिलने पर पूरा जवाब नहीं दिया जा सका।

माननीय अध्यक्षः-२० मिनिट में जवाब दिया जा सकता है, यदि पुनरावृत्ति न की जाय तो।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख की सिफारिश के अनुसार मेजर हेड २५ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मंत्रिमंडल और उसके व्यय के लिए ३३,९४,४००) रुपयों का अनुदान स्वीकार किया जाय।

माननीय अध्यक्षः-The motion is that a sum of Rs. 33, 94, 400 be granted for expenditure under Grant No. VIII, Major Head 25 General Adminstration, Heads of State, Cabinet & Ministers etc. during the Current year.

श्री जसवन्तसिंह:-एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कट मोशन्स (कटौती के प्रस्तावों) की लिस्ट हमारे सामने हैं, उसमें एक एक कटमोशन पर एक माननीय सदस्य बोल जायेंगे और उनको बोलने का १५ मिनिट भी मिल गया है; लेकिन जहां एक ही मेम्बर ने ४-५ का कटमोशन्स एक साथ पेश किये हैं वहां क्या होगा? वे १५ मिनिट हीं बोलेंगे या उनके लिए अलग समय निश्चित किया जायगा? देखने से पता लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने ४ कट मोशन्स एक साथ प्रस्तुत किए हैं।

श्री भवनिकुमार:-Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Demand under the Head "Heads of the State, Cabinet and Ministers (Salaries and other charges on the Ministers and Councillors) be cut down to Re. 1/-.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटमोशन को सदन के सामने पेश करता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या जब ७–८ ही है तो फिर किस हालत में यह रकम ज्यादा रखी गई है दूसरा यह कि राजप्रमुख के अभिभाषण पर जब वाद–विवाद चल रहा था तो सरकारी पक्ष की तरफ त्याग ओर तपस्या शब्द का बराबर प्रयोग किया जा रहा था। मैं यह समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय अगर अपने व्यक्तिगत वेतन के अन्दर कटौती करेंगे तो अवश्य त्याग और तपस्या का परिचय हमको मिलेगा। इसका नतीजा यह होगा कि दूसरे विभागों के भी जो ऑफिसर्स हैं उनके वेतन भी कम करने में सुविधा होगी और इससे प्रभाव भी पड़ेगा। इस चीज को सामने रखते हुए ही मैंने इस कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) को मूव (प्रस्तावित) किया है।

दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर्स और कौंसिलर्स के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको देखने से आपको पता लगेगा कि यह खर्चा १,८८,७१० रुपये का है। समझ में नहीं आता कि इतना अधिक खर्चा इस चीज के लिये क्यों रखा गया है? क्या माननीय मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि इतना अधिक खर्चा क्यों रखा गया है ? १,५४,००० रुपया उनकी मोटरों के लिए रखा गया है। जहां तक मेरा ख्याल है माननीय मंत्री महोदय को अपने वेतन के आधार का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको जितना वेतन मिलता है उनकी मोटरों का व्यय भी उससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। उनको अपने खर्चे सीमित रखने चाहिए।

इस सम्बन्ध में उन्हें सीमित रहना चाहिये। आखिर यह जनता का पैसा है और इसके उपयोग में उनको सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और जनता का पैसा फिजूल खर्च नहीं होने देंगे। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–Cut motion moved that the Demand under the Head "Heads of the State Cabinet and Ministers" (salaries and other charges on the Ministers and Councillors) be cut down to Re. 1/-.

श्री हरिदेव जोशी:–अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव कट मोशन के रूप में उपस्थित किया है उसके बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान के मंत्रीगण जो वेतन आज ले रहे हैं वह इतना नहीं लेना चाहिये और दूसरा प्रश्न जो उपस्थित किया गया है वह उनके वेहिकल अलाउन्स (गाडी भत्ते) के बारे में और उनके लिये जो मोटरों पर खर्चा हो रहा है उसके बारे में। जहां तक मेरा खयाल है राजस्थान में मंत्रियों को मोटरों आदि की सुविधाएं दी जाती है। यदि सरकार की तरफ से कोई मोटर दी जाती है तो दूसरा कनवेयेन्स अलाउन्स (सवारी भत्ता) उन मंत्रियों को नहीं

दिया जाता है। अलबत्ता सुविधा यह है कि यदि उनके पास निजी गाड़ी हो तो वे निश्चित अलाउन्स ले सकते हैं। सरकारी गाड़ियों को काम में लेने के बाद यों कहिये कि सरकार की ओर से जब मोटरें दी जाती ह तो दूसरा कनवेयेन्स अलाउन्स उन्हें नहीं दिया जाता। जहां तक मंत्रियों के वेतन का सवाल है, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यदि हम भारत के अन्य प्रान्तों के मंत्रियों के वेतन की ओर दृष्टि डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान के मंत्रियों का वेतन उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। बल्कि आपने देखा होगा कि हाल ही में हैदराबाद में मंत्रियों का वेतन १२५०) रु० नियत किया किया है। जहां तक राजस्थान के मंत्रियों के वेतन का सवाल है उन्होंने अपने वेतन में वॉलेंटियरिली (स्वेच्छा से) १००) रु० माहवार कम कर दिये हैं। भारत के प्रधान मंत्री प० नेहरू और सरदारपटेल ने जब सब से अपने वेतन कम करने की अपील की थी उस समय केन्द्र के मंत्रियों और कुछ उच्चाधिकारियों ने वॉलेंटियरिली (स्वेच्छा से) वेतन कम करने का विचार किया था। उस सद्भावना से प्रेरित होकर यहां के मंत्रियों ने भी शायद १० प्रतिशत यानि १००) रु० माहवार अपने वेतन में से कट किये थे। इसके अलावा उनके वेतन में से इन्कम टैक्स आदि के कुछ रुपये कट जाते हैं। इस प्रकार उनको कुल मिलाकर ९००) रु० माहवार से भी कम, वेतन के रूप में, मिलते हैं। आज के युग में यदि एक आदमी मिनिस्टर के तौर पर जीना चाहता है तो कम से कम उसे इतना तो देना ही चाहिये कि वह अपने स्टेन्डर्ड से परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। यदि आपको मिनिस्टरों के बारे में ही, आपत्ति के तौर पर आपत्ति करनी है तो मैं समझता हूं कि यह गलत चीज है। जो जागीरों के रूप में हजारों रुपये कमाते हैं और मनमाने ढंग से खर्च करते हैं वे यदि दूसरों को उपदेश देना चाहते हैं तो यह विडंबना समझ में नहीं आ रही है।

श्री अवनी कुमार:—मुझे भी दृष्टान्त रखने का मौका दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष:—दिस इज नो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर (यह कोई आपत्ति का विषय नहीं है।)

श्री हरिदेव जोशी:—हमें किसी के वेतन को निश्चित करने के समय देश की परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा; देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करना पड़ेगा, वस्तुओं के भावों पर भी विचार करना पड़ेगा, और इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि देश में कितनी महंगाई है। सब बातों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वेहिकल्स के बारे में तो यह मोशन ठहरता ही नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय और इस कट मोशन को अस्वीकार किया जाय।

श्री किशनलाल शाह:—अध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन विरोधी दल की ओर से पेश किया गया है उस पर उनका अपना दृष्टिकोण है और विशेषतः विरोधी दल के सदस्यों को अनुभव होगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता आने से पहले जो शासन प्रणाली थी उसके अंतर्गत राजा और नरेश अर्थात शासक वर्ग, महलों

से बाहर निकल कर कभी जनता से संपर्क नहीं साधते थे। लेकिन जब प्रजातंत्र के आधार पर शासन की मशीनरी बनती है तो जब तक जनता से संपर्क नहीं साधते तब तक जनता को विश्वास नहीं होता। इसलिये आज के युग में मंत्रियों के लिये आवश्यक हो जाता है कि यदाकदा, समय २ पर, जनता के संपर्क में आकर जनता से मेल बढ़ायें। ऐसी सूरत में जो मोटर अलाउन्स और खर्चा होता है उसे बेजा बताने का कारए जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि मेरे माननीय मित्र महोदय कभी जनता के संपर्क में नहीं आये। विरोधी दल बना है तो हर चीज का विरोध होना ही चाहिये इसलिये यह विरोध किया गया है। जहां तक इस प्रजातंत्रवाद में शासन प्रणाली का सवाल है और जहां तक प्रजा के साथ संपर्क साधने का सवाल है वहां तक मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मांग पेश की है वह वाजिब है और जो एतराज हैं निश्चत उद्देश्य को लेकर किये गये हैं। मेरी राय में जहां तक वेतन का सवाल है मैं अर्ज करूंगा कि पुराने जमाने में जो वेतन मंत्रियों को छोटी २ रियासतों में मिला करता था और महलों में रहने से जो ऐश–आराम उनको मिलता था उसको देखते हुए आज की सुविधायें कुछ भी नहीं हैं। इसलिये दोनों ही चीजें मेरी समझ में गैरवाजिब नहीं हैं। सरकार की तरफ से जो मांग पेश की गई है वह वाजिब है और मैं विरोधी दल के कट मोशन का विरोध करता हुआ माननीय मुख्य मंत्री की डिमान्ड का समर्थन करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर:–जो कट मोशन पेश किया गया है कोई सूचना प्राप्त करने के रूप में नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे, माननीय अध्यक्ष, और गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि माननीय सदस्य इस कट मोशन द्वारा चाहते हैं कि ३३,९३,४०० रुपये जो खर्च होते हैं, यह ग्रान्ट की डिमान्ड मंजूर नहीं की जावे और एक रुपया ही मंजूर किया जावे।

श्री अवनीकुमार:–मेरी यह मंशा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर:–इनकी यह मंशा है कि मिनिस्टर और केबिनेट के टी० ए० में जो खर्चा हो वह एक रुपया हो।

श्री अवनीकुमार:–ओन दी पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, मेरा इस कट मोशन से मतलब यह है कि जो खर्चा हो वह वाजिब हो।

श्री मथुरादास माथुर:–माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने यह साफ लिखा है कि एक रुपया रखा जावे। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर उनकी यह मंशा नहीं थी तो जो बातें सदन के सामने रखी जाती हैं उनका जो लेजिटिमेट अर्थ निकाला जाता है, वही निकाला जावे। यह कट मोशन जो रखा गया है वह सरकार को सेबोटेज करने के हेतु है। उन्होंने यह रखा है कि एक रुपया रखा जावे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर जगह राजस्थान धारा सभा इस सम्बन्ध में नये तरीके अमल में नहीं ला सकती।

हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों और रियासतों में जो मिनिस्टरों और एडवाइजरों को मिलता है उससे अधिक तनख्वाहें यहां नहीं मिलती है। इसके बाद, मैं यह महसूस करता हूं कि जो मंहगाई है उसको भी ध्यान में रखा जावे। हम नहीं चाहते कि हमारे यहां के मिनिस्टरों की इज्जत और शान दूसरी जगहों के मिनिस्टरों की शान और इज्जत से कम हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आंकड़े रखे हैं वे ठीक हैं।

श्री जसवन्तसिंह:--जो प्रश्न पर बहस हो रही है, क्या ऐसा होना चाहिये; इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कट मोशन के सम्बन्ध में यह कहा है कि कट मोशन कायदे के माफिक नहीं है। मैं यह कहूंगा कि कट मोशन कायदे के माफिक है और वे ये कहने से पहले कायदा देखें, फिर कहें।

Shri Bhan Singh:—Mr. Speaker Sir, the debate put on Cut Motion on the pay of the Ministers was supported by few of the other side. It is but natural. To-day Rajasthan demands sacrifices from every individual and specially from those who are the seven ministers of the Government whose pay and T. A. and other things that causes a colossal expenditure of the Budget..

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--क्या माननीय सदस्य हिन्दी में बोलने की कृपा करेंगे ?

(भाषण जारी रखते हुए)

Shri Bhan Singh:—When they were fighting elections they came out to support and shouted from the top of the houses that they would sacrifice whatever they can and thus when Rajasthan demands sacrifice, it is the seven ministers who come forward to support the colossal expenditure on their pay etc. I would like the ministers to rise to the occasion if they want to set an example to us. We must lead the people of Rajasthan to democracy. For the welfare of all we must strive to promote greatest good of the greatest number. It is certainly possible to save something if they use smaller cars upon which petrol consumption will be comparatively less. By doing so I am confident that they will be helping their Government to bridge over the deficit occurring in the Budget. They must rise to the occasion so that the masses who are hungry will praise them and in this way Rajasthan will be stronger, powerful, and prosperous.

Raja Man Singh:—Mr. Speaker, Sir, reference was made yesterday in the Hon'ble Chief Minister's reply to the general body of the House that the salaries that they have suggested for the ministers are in relation to the value of the rupee as in 1937 and the value of the rupee in 1952. According to the principles of Mahatma

Gandhi it is required that the ministers should not draw salary more than Rs. 500/- p. m. But the Hon'ble Chief Minister explained that the salary had been raised due to the value of rupee having been fallen. I should remind that if every Government servant look to this attitude we will have to increase, the salaries of the Government servants by three times throughout the State. There is a provision in the Government Rules for dearness allowance and in the Budget also Dearness Allowance for the Ministers and Counsellors under that Head is Rs. 32,760/-. Under Head 'Other Charges' we have Rs. 21,000/-. What is this for if the value of the Rupee is taken into consideration. The Debate, Sir, at present stands on the question whether the word 'to' preceding Re. 1 is correctly put in my opinion I feel that there has been some printing error and I would like to ascertain whether it relates to 'to' Re. 1 or pertains to 'by' Re. 1.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरे ख्याल में कट मोशन बिलकुल साफ है, साफ लिखा भी गया है।

श्री मानसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो कट मोशन का प्रस्ताव है उसके बारे में मैं ज्यादा न कहकर केवल दो चार शब्द निवेदन करूंगा। अध्यक्षजी, मैं आपके जरिये मेरे राइट साइड में बैठे हुए सदन के उस तरफ के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी यह नियत नहीं है कि हम ओनरेबल मंत्रियों को उनका वेतन नहीं दें। साथ ही साथ बड़ी अदब के साथ आपके जरिये अर्ज करूंगा कि उन लोगों को त्याग की भावना अपनाते हुए और आज के राजस्थान की हालत को देखते हुए, जो एक करोड़ का घाटा बजट में है उसको कम करने की ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये। आज के जमाने में यदि हैदराबाद या पंजाब में या दिल्ली में मिनिस्टर्स ५ हजार, डेढ़ हजार, साढे बारह सौ वेतन लते हैं तो यह तो कोई तरीका नहीं कि हम यह सोचें कि राजस्थान में मंत्रियों को १००) या २००) रु० कम मिलें या ज्यादा मिलें। हमें इस भावना को छोड़ देना चाहिये। राजस्थान में यह पहला मौका है जब सही तरीके से डेमोक्रेसी का फंक्शन शुरु हुआ है और वहां के मिनिस्टर, वहां के लेजिस्लेटर जो गलती करते हैं उसी गलती को हम दोहराएं। पहले इसके बारे में मैं कह चुका हूं। ओनरेबल मिनिस्टर जो अपने पेनापरमेलिया पर खर्च करते हैं उसमें अवश्य कमी करनी चाहिये न कि उसको बढाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे जिससे हमारा राजस्थान का बजट घाटे का बजट हो क्योंकि इस घाटे की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जायगा। जो कुछ भी गुड एग्जाम्पल सेट (अच्छा उदाहरण प्रस्तुत) किया जाता है वह ऊपर से किया जाना चाहिये ताकि नीचे का अमला भी उसका अनुसरण कर सके। मैं आशा करता हूं यदि हमारे माननीय मंत्रीगण इस प्रकार का उदाहरण पेश करेंगे तो दूसरे नौकर जो दो-दो, ढाई-ढाई हजार वेतन लेते हैं, जो परमानेन्ट (स्थायी) सर्विस (सेवा) में होत हुए भी, अपने वेतन में २५), ३०) रुपये की अवश्य कटौती कर देंगे।

कट मोशन लाने का हमारा मकसद यह है कि हमारे मिनिस्टर्स (मंत्रीगण) इस बजट के घाटे की पूर्ति के लिए कोई ठोस कदम उठावेंगे और इस प्रकार का उदाहरण पेश करेंगे ताकि यह बजट अपने आप बेलेंस में हो जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी समय दूसरे कटौती प्रस्ताव पर लेलूंगा।

श्री रघुराजसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसमें सेलरीज आफ मिनिस्टर्स (मंत्रियों के वेतन) देने के विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि, जैसा कि अन्य सदस्यों ने बतलाया है, राजस्थान का बजट घाटे का बजट है इसलिये माननीय मंत्रियों को त्याग का परिचय देकर अपने खर्च में जितनी कमी हो सके, उनको असुविधा न हो, कमी करनी चाहिये। इस विषय में दो सीगे हैं वाटर एन्ड एलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। हाउस के मेन्टेनेंस (जल तथा बिजली के खर्चे, घरों के निर्वाह) में जब कि गत वर्ष मंत्रियों की संख्या १०-११ थी। अब केवल सात ही हैं। जब कि १३ हजार से ऊपर का बजट रखा गया है। उसमें कमी हो सकती है। मेरे ख्याल में गत वर्ष जो बजट था वह भी काफी था; उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। मेन्टीनेन्स आफ कार्स (मोटरों को रखने) के बारे में मेरा निवेदन यह है कि जब कारें सरकार की तरफ से दी जाती है तो फिर शहर से बाहर जाने पर ट्रेवलिंग अलाउन्स (सफर भत्ता) और डेली अलाउन्स (दैनिक भत्ता) जो दिया जाता है उसके लिए मेरा निवेदन है कि सरकार की कार रखी जाय। उसके मेन्टेनेन्स के लिए ३००) रुपया काफी हैं। इस हिसाब से नियन्त्रण रख दिया जाय तो एक लाख से अधिक की बचत हो सकती है। इस सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस तरह से कटौती हो सकती है।

श्री हिम्मतसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर्स के वेतन के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसके विषय में कुछ सदस्य महोदयों ने जो बातें कही हैं वे जरूर विचारणीय हैं। ऐसा कहा गया है कि शायद इस पार्टी का यह उद्देश्य है कि मिनिस्टर महोदय बाहर न जाकर जनता से सम्पर्क न रखें। राजस्थान में वैसी ही हालत पैदा की जानी चाहिये जैसी कि राजा महाराजाओं के वक्त में थी। वे कहते हैं कि राजा महाराजा महलों पर पड़े रहते थे और जनता से उनका कोई सम्पर्क नहीं था। अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि राजा महाराजाओं का जो सम्पर्क, मेरे ख्याल से था, वैसा सम्पर्क इस समय के मिनिस्टर्स के मुकाबले ज्यादा था। राजा महाराजाओं को प्रत्येक आदमी, बच्चा-बच्चा, जानता था लेकिन मिनिस्टर महोदय अपने हैडक्वार्टर को छोड़, डिस्ट्रिक्टों में साल में दो चार दफा ही पधारते होंगे और खास आदमियों से मिल कर वापिस चले जाते होंगे। लोगों को उनके आगमन का पता तक नहीं होता। ऐसी सूरत में इतना खर्चा ट्रेवलिंग अलाउन्स, मोटरों पर, जब कि राजस्थान का बजट घाट का बजट है, करना कहां तक उचित होगा? १ लाख ५४ हजार का खर्च सिर्फ मोटरों को मेन्टेन करने के लिए राजस्थान सरकार को उठाना पड़ता है; यह एक ताज्जुब की बात है। बहतर यह हो कि यह खर्च १ लाख ५४ हजार का बिलकुल काट दिया जाय। जैसा पहले जमाने में हर अफसर को, हर मिनिस्टर को, अपनी कार रखकर ट्रेवलिंग अलाउन्स आदि मिलता था वैसा ही अलाउन्स राजस्थान

सरकार को कायम कर देना चाहिये । इससे बहुत कुछ बचत होगी, और भी बहुत कुछ लाभ होगा; साफ कहने की जरूरत नहीं ।

श्री छोटूसिंह:–माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मिनिस्टर्स की सेलरीज के बारे में जो कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) रखा है उस पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातें सुनकर एक तरह से बड़ी खुशी हुई कि चेला एक बात में तो गांधीजी के फोलोअर (अनुयायी) हो गये कि मिनिस्टर्स की सेलरी (मंत्रियों का वेतन) ५००) रुपये प्रति माह होनी चाहिये । शायद और किसी बात में तो वे गांधीजी को याद न करें, गांधीजी की किसी बात का अनुकरण न करें । खुशी का विषय है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यकीन तो किया कि महात्मा गांधी ने जो वेतन का स्टेंडर्ड रखा था कि मंत्रियों की तनखा ५००) रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिये ठीक है ।.........

करांची के अन्दर सन् ३१ में गांधीजी ने इस बात को रखा था कि मिनिस्टर्स की तनख्वाह ५००) रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए । तो मैं सदस्यों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि सन् ३१, ३२ तथा ३३ में चीजों के भाव इतने महंगे हो गए थे कि वैसे भाव उसके पीछे के सौ वर्षों में नहीं हुए थे । सन् ३२–३३ के समय में उस समय से आज के समय को मिलायेंगे तो मालूम होगा कि उससे पांच-छः गुना ज्यादा भाव बढ गए हैं तो उस जमाने में जब गांधीजी ने ५००) रु० मिनिस्टर्स को देने के लिए कहा था और आज के इस समय में अगर उन्हें ९००) रु० दिया जाता है तो किसी भी तरह से गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता । इसको केवल विरोधी दल की टीका टिप्पणी के सिवाय क्या कहा जा सकता है क्योंकि विरोधी दल के सदस्यों ने केवल मिनिस्टर्स की तनख्वाहें ही कम करने के लिए कहा है । आज के समय में सरकार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें २५०) रु० से ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं । ऐसे कई कर्मचारी हैं पटवारी, टीचर्स, क्लर्क्स आदि जिनकी तनख्वाहें उस जमाने में १५) रु० थी आज मैं कह सकता हूं कि उन्हें ४०) ५०) रुपये से कम नहीं मिलते हैं । जब उन लोगों की सेलरीज तिगुनी चौगुनी हो चुकी है तो मिनिस्टर्स की सैलरी में भी कमी करना मैं तो उचित नहीं समझता ।

जहां तक मोटरों का सवाल है उसके सम्बन्ध में मेरा भी यह कहना है कि उन्हें मोटरों को सम्भाल कर रखना चाहिए और गवर्नमेन्ट के कार्यों में ही उनका उपयोग करना चाहिये । मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उन मोटरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए ही हो । और मैं यह मानता हूं, मानना चाहिए, उम्मीद भी करनी चाहिए कि वे सरकारी गाड़ियों का उपयोग सरकारी काम के अलावा नहीं करें ।

इसके अलावा मैं हाउस का समय ज्यादा न लेते हुए इतना ही निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के साथी इस कटमोशन को वापस ले लें ।

श्री कपलदेव अग्रवाल:--अध्यक्ष महोदय, कटमोशन पेश किया गया है "That the Demand under the Head "Heads of the State Cabinet & Ministers" (Salaries and other charges on the Ministers and Councillor's) be cut down ot Re.1/-) एक रुपया डिमांड कम दी जाय। पार्लियामेंटरी पद्धति के मुताबिक जब कोई डिपार्टमेन्ट की मद में टोटल कट किया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव पहले मूव किया जाता है और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इसके लिए कुछ भी दिया जाना पब्लिक के साथ एक किस्म का अन्याय करना है और इसलिये बुरा है। लेकिन जो बहस की गई है उसमें कभी यह नहीं कहा गया है कि इस डिपार्टमेन्ट की जरूरत ही नहीं है, मिनिस्टर ही नहीं होने चाहिए, या उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है या उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। यहां तो यही कहा जा रहा है कि मिनिस्टर्स की सेलेरीज कम की जाय, उसके खर्च कम हों; इसके लिए मैं यह कहता हूं कि यह जो कटमोशन पेश किया गया है करीब २ निरर्थकसा है। हाउस के सामने यह सवाल नहीं है कि मिनिस्टर्स को क्या तनख्वाह देनी चाहिए किन्तु यह है कि उनके ऊपर इतना खर्चा होना चाहिये आदि यही सुझाव देना चाहिए। लेकिन वे तो मिनिस्टर्स की तनख्वाहें ही कम नहीं कर रहे हैं, वे तो इसे बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, जो इस समय हो नहीं सकता। जैसा कि उनकी स्पीचों से पता लगता है उसके अनुसार मैं ओनरेबल मेम्बर से निवेदन करता हूं कि वे अपना कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) वापिस कर लें।

श्री भैरू सिंह (दांतारामगढ):--माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मंत्री मंडल के लिए जो तनख्वाहें मुकर्रर हैं और उसके लिए जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनने पर मुझे प्रेरणा हुई कि इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ सदन के समक्ष बोलूं। माननीय सदस्यों ने फरमाया कि राजस्थान के मंत्री मंडल के मंत्रियों को उनकी हैसियत के मुताबिक उनको अच्छे २ मकान, मोटर, लारियां, कीमत साधन उपलब्ध होने चाहियें। तो इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि जो मकान, मोटरें व अन्य साधन मंत्रियों को मिलते हैं और उनको इससे मोह हो जाता है और उस मोह के कारण जिस वक्त उनको मंत्री मंडल से किसी कारणवश अलग होना पड़ता है या स्वयं अपने आप मंत्री मंडल से पद त्यागते हैं उस समय उस मोह के कारण वे अपने पिछले साथियों के ऊपर किसी भी तरह से कारण ढूंढकर उन पर मुकदमे चलाने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह से जो जनता के सामने सेवा का आदर्श रखते हैं उसको वे कलंकित करते हैं। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि उनको सभी साधन देते समय यह ध्यान रखा जाय कि हमारे मंत्री कहीं मोटरों, बंगलों और अन्य साधनों के मोह में न पड़ जायं और इस तरह वे राजस्थान सरकार बदनाम न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के मंत्री कम से कम तनख्वाहें, कम से कम मोटरें, और कम से कम साधन अपने लिए काम में लेने का प्रयत्न करें।

श्री वेदपाल त्यागी:--अध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव बिलकुल साफ है। जैसा कि पार्लियामेंट्री तरीका है, गवर्नमेन्ट की तनख्वाहें कम करने के लिए सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाता है अगर किसी मद में यह समझा जाता है

कि किसी आइटम में ज्यादा है तो उसके लिए इकोनोमिक कट पेश किया जाता है। लेकिन यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह टोटल कट के रूप में पेश किया गया है। इसलिए यह मानना होगा कि यह जो प्रस्ताव अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया है और जो मौजूदा सरकार चल रही है, वे उसके प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। इस सारे प्रस्ताव के अन्दर मंत्रियों की तनख्वाहें और मंत्रियों के भत्ते के बारे में कहा गया है कि इनको घटाया जाय। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि वास्तव में इस प्रस्ताव का अर्थ क्या है? जैसा कि स्पीचेज से मालूम पड़ रहा है कि मंत्रियों की तनख्वाहें कम होनी चाहिए, मंत्रियों के खर्चे कम होने चाहिए तो प्रस्ताव यह होना चाहिए कि उन्हें कितनी तनख्वाहें दी जायं, उन पर कुल कितना खर्चा किया जाय-इसका संशोधन होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस वक्त तनख्वाहें मुकर्रर की जाती है उस वक्त यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि तनख्वाहें लेने वाले किसी एक पार्टी के सदस्य हैं। जिस समय तनख्वाहें मुकर्रर की जाती हैं उस समय तो केवल इसी बात का ही ध्यान रखा जाता है कि किस पदाधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है। आज की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चलाने में इसी तरह दूसरे कर्मचारियों को भी तनख्वाहें मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझको एक मिसाल याद आई कि कलकत्ते में एक एडवर्टाइजमेंट (विज्ञापन) निकला था। जिसमें लिखा था कि अगर बुकिंग का काम लिया तो १००) रु० पर काम करूंगा और अगर बुकिंग और मार्केटिंग दोनों काम लिये गए तो ५०) रु० तनख्वाह और खाना खुराक लूंगा। तो अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त तनख्वाहें मुकर्रर की जायं उस वक्त यह भी देखा जाता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी है। जिन व्यक्तियों से आप काम लेने के लिए उतारू हो रहे हैं, जिन पर इतना बड़ा बोझ लादना चाहते हैं, उनको कम से कम कितना मिलना चाहिए इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। यह कहा जाता है कि हजार नौ सौ के बजाय छः सौ या पांच सौ ही लिया जाय। लेकिन मैं उन लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहने से पहले वे अपने अन्दर भी त्याग की भावना रखें। आपके सामने जागीरदारी एबोलेशन बिल है।

यदि वे सज्जन जो शिक्षा देने वाले हैं त्याग की भावना इसमें दिखलावें तो संभव है उनकी बात का वजन पड़े और उनकी बात मानने को दूसरे लोग भी तैयार हों। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि वे त्याग नहीं करते इसलिये उनकी उचित बात हम नहीं मानें। लेकिन औचित्य और अनौचित्य देखने का कर्तव्य सभी सदस्यों का है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के एकीकरण के पूर्व छोटी बड़ी अलग अलग २० रियासतें थी और हरेक रियासत में अलग अलग मिनिस्टर होते थे और उनको दो ढाई हजार रुपया माहवार वेतन मिलता था। उससे आज के मंत्रियों के वेतन से तुलना की जाय तो साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे मंत्रियों ने काफी त्याग के भाव का प्रदर्शन किया है। एक हजार रुपयों में से एक सौ रुपये वालन्टियरी कट किया है और वे अब ९००) रु० ही वेतन के रूप में लेते हैं जब कि उनके मातहत काम करने वाले सर्विस क्लास के लोग उनसे कहीं अधिक वेतन पाते हैं। जब हम

एक की दूसरे से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि आज की समाज व्यवस्था में हमारे मंत्री बड़े त्यागी है जब कि उसी जगह पर काम करने वाले पुराने समय में बहुत बड़ी तनखा पाते थे ।

दूसरा आक्षेप यह लगाया गया है कि मंत्रियों की कारों के पीछे बहुत अधिक खर्च की जाती है। इस मद में जो १,५४,०००) रु० रखे गये हैं वे दिखने में तो बहुत ज्यादा मालूम होते हैं । यदि यह खर्चा केवल शहरों में घूमने का ही है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि इसमें जरूर कट होना चाहिये । लेकिन वास्तव में यह शहरों में घूमने का खर्चा नहीं है । इसका व्योरा तो मंत्री महोदय उपस्थित करेंगे और विस्तार से बतायेंगे कि कौन कौन से मद में अधिक खर्च होता है । लेकिन मैं जानता हूं कि जो गाड़ियें मंत्रियों को दी जाती हैं उनसे वे दौरा भी करते हैं। आज हमारे राज्य का पुराना तरीका बदल गया है । अब जो प्रजातंत्र राज्य है उसमें यह आवश्यक हो जाता है कि मंत्री न केवल नीति निर्धारित करें बल्कि जनता में भावना पैदा करें कि वे जो नीति निर्धारित करते हैं उसको अपनाने के लिये जनता तैयार रहे । इसके लिये जन-संपर्क स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिये उनको काफी दौरे करने पड़ते है । कहा जाता है कि पहले के राजा महाराजा आम लोगों के बच्चों तक के नाम जानते थे। मैं कहूंगा कि वे केवल उन्हीं लोगों के नाम जानते होंगे जो उनके साथ खेलने के लिये आया करते थे । पहले के दिनों के राजाओं व उनके मंत्रियों का संपर्क सीधा जनता के साथ नहीं होता था, केवल राज्य कर्मचारियों द्वारा ही उनका संपर्क होता था । लेकिन आज के मंत्रियों का डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) संबंध जनता के साथ है और जनता बतला सकती है कि आज की जो सरकार है उसकी क्या नीति है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास के रूप में प्रस्ताव है तो सरकार को इसे मन्जूर करना चाहिये और बताना चाहिए कि यह गलत चीज है । यदि यह गलती से पेश किया गया है तो मैं माननीय सदस्य से अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिये निवेदन करूंगा ।

श्री गोपीलाल यादवः--प्रस्तावक ने जब इस बात को साफ कर दिया है कि उन्होंने सिंबोलिक कट (संकेतात्मक कटौती) रखा था "टू" शब्द के बजाय "बाइ" शब्द होना चाहिये था जो किसी वजह से शायद टाइपिस्ट की गलती से रह गया है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—ही हेज स्पोकन वर्ड टू (इन्होंने टू शब्द कहां ह) । माननीय सदस्यों को अलग अलग अर्थ नहीं निकालना चाहिये । जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी का मतलब लेना पड़ेगा

श्री गोपीलाल यादवः—मतलब वही लेना है जो प्रस्तावक समझते हैं। उनका कहना है कि मैंने सिंबोलिक कट रखा है इसलिये दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री वेदपाल त्यागीः--पहले वे ही कट मोशन पेश हो सकते हैं जिनकी रकम ज्यादा है ।

श्री कपिलदेवः--इसके अलावा टोकन कट है तो पर्टिक्युलर परपज़ (विशेष अभिप्राय) जाहिर करना चाहिये।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ कहना है।

माननीय अध्यक्षः--आर यू गोइंग टू रिप्लाई (क्या आप उत्तर देने जारहे हैं)

श्री अवनीकुमारः--माइ इन्टेशन वाज फोर सिम्बोलिक कट एन्ड इन ऑर्डर टू बी स्टिल मोर क्लीयर आइ वान्ट टू एमेन्ड माइ कट मोशन (मेरा अभिप्राय सांकेतिक कटौती के लिये था। अधिक स्पष्ट करने के लिये मैं मेरे कटौती प्रस्ताव में संशोधन करना चाहता हूं)

एक माननीय सदस्यः--आइदर दे विल हेव टू गेट इट डिसाइडेड बाइ दी हाउस ओर ही केन विड्रा इट (या तो हाउस द्वारा इस पर निर्णय लेना होगा या ये इसे वापिस लेलें)

माननीय अध्यक्षः--ही वान्ट्स टू मूव एन अमेन्डमेन्ट (वह एक संशोधन रखना चाहते हैं)

श्री सम्पतरामः--इट इज अगेन्स्ट दी पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस सर (श्रीमन्, यह संसदीय पद्धति के विरुद्ध है)

माननीय अध्यक्षः--हाउस केन पर्मिट (सदन आज्ञा दे सकता है)

श्री वेदपाल त्यागीः--हाउस केन्नोट पर्मिट अगेन्स्ट दी रूल्स एंड अगेन्स्ट दी पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस (नियमों के और संसदीय पद्धति के विरुद्ध सदन भी इजाजत नहीं दे सकता)।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं अपने राइट ऑफ रिप्लाई को रिजर्व (उत्तर देने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए) करता हुआ। जिन शब्दों में यह कट मोशन आया है, वह साफ हैं। और जिन्होंने यह कट मोशन मूव किया है वे पढ़े लिखे समझदार युवक हैं। उन्होंने वे शब्द लिखे हैं जो उन्होंने बोले हैं इसलिये गलती का प्रश्न नहीं आता। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किये हैं; उन शब्दों का जो अर्थ होता है वही अर्थ अथवा आशय समझना चाहिये; वही अर्थ हमें मानना चाहिये। इस मोशन का अर्थ यह ह कि यह मोशन वर्तमान मंत्री मंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव है। यदि इस हाउस (सदन) के सदस्य चाहते हैं कि मंत्रीमंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिये तो हमें इसमें कोई झिझक नहीं है। मैंने अन्य कट मोशन्स मूव करने वाले माननीय सदस्यों से बात की थी लेकिन क्योंकि यह अविश्वास के प्रस्ताव के रूप में आया है इसलिये न तो मैंने इस बारे में बात की और न मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और न मैं अपने किसी मित्र से कहूंगा कि वे इसे वापिस लेने

के लिये कहें। यह उनके सोचने की बात है कि हाउस का मत इस संबंध में लेना चाहिये या नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:—मेरे माननीय मित्र ने जो कहा है वह दुरुस्त है हरेक आदमी दुबारा विचार करके हाउस की परमिशन (सदन की अनुमति) से अमेन्डमेन्ट (संशोधन) प्रस्तुत कर सकता है। यदि हाउस (सदन) पर्मिशन (आज्ञा) न दे तो अमेन्डमेन्ट (संशोधन) नहीं हो सकता। यदि हाउस अमेन्डमेन्ट के लिये परमिशन नहीं दे तो वह स्टेन्ड करता (वैसा ही रहता) ह और उस पर वोट (मत) लिये जाते है। इस वारे में यदि हाउस (सदन) टोकन कट (सांकेतिक कटौती) के लिये परमिशन (आज्ञा) दे तो यह अमेन्डमेन्ट (संशोधन) पेश किया जायेगा नहीं तो वोटिंग किया जायगा (मतदान होंगे)।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:- अध्यक्ष महोदय, इस कट मोशन के अलावा और भी कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने कट मोशन प्रस्तुत किये थे और जिस प्रकार की बहस इस कट मोशन को संशोधित करके माननीय सदस्य चाहते हैं मेरा ख्याल है कि मेरे लायक दोस्त उसी प्रकार की बहस दूसरे कट मोशन पर कर सकते हैं। इसलिए इस कट मोशन के दो ही रास्ते हैं या तो इसको वापिस लिया जावे, या इस पर वोट हों। यदि वे समझते हैं कि इस प्रकार का कट मोशन पेश करके · · · · · · ·

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--इस कट मोशन के संबन्ध में मेरे अपने विचार हैं कि इस संबन्ध में गलत फेहमी रह गई है; एक तरफ हाउस के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनका कहना कहां तक ठीक है तथा दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि उन्होंने इस मोशन को सिंसिअर मोस्ट वे (जागरूकता से) में प्रस्तुत नहीं किया लेकिन एक सिम्बोलिक (संकेतात्मक) की तरह पेश किया है। अफशोस की बात यह है कि वे चाहते थे कुछ और, और किया कुछ और। लेकिन जब सारी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कट मोशन को सिंसिअर मोशन के रूप में लिया जावे। जब मूवर (प्रस्तावक) खुद मन्जूर करता है कि उनका मतलब यह नहीं था तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी मर्जी के खिलाफ इस कट मोशन को सिंसियर मोशन के रूप में क्यों नहीं मन्जूर किया जावे। पीछे जिस रूप में वे परिवर्तन करना चाहें उसी तरह करें। छोटी सी बात को लम्बा बढ़ाने की भावना न तो हाउस के उस ओर के सदस्यों की और न इस ओर की होनी चाहिये। यह मैं हाउस की सूचनार्थ अर्ज करता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी.--कट मोशन जो पेश किये जाते हैं, एक नियमानुसार प्रथा से आते हैं और संशोधन के रूप में आते हैं और माननीय सदस्य ने बताया है कि यह गलती से हो गया है। मगर मैं यह कहूंगा कि हमारे मित्र ने जिस समय इसे पेश किया उस समय गलती से पेश किया मानते हैं तो भी पेश करते समय तो पढ कर पेश किया है और पढते समय और पेश करते समय भी अपनी गलती नहीं मानते; तो फिर अब उनके लिये ठीक

तरीका यही है कि नियमानुसार वे इसे या तो वापिस ले लें और अगर वे इसे वापिस लेना नहीं चाहते हैं तो इस पर बहस करन के बाद जो हाउस का निर्णय हो उसको स्वीकार करें ।

माननीय अध्यक्ष:--जो संशोधन इस कट मोशन में रखना चाहते हैं उसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री अवनीकुमार:--मुझे खेद है कि मेरे इस कट मोशन का गलत अर्थ निकाला गया है । दर असल मेरा आशय वह नहीं था, जैसा कि मतलब निकाला गया है। इसलिये मैं अपने इस कट मोशन को विद्ड्रा करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:--आप इसकी सदन से आज्ञा लें ।

श्री अवनीकुमार:--मैं अपने कट मोशन को विद्ड्रा करने के लिये हाउस से प्रार्थना करता हूं कि हाउस मुझे अपना कट मोशन विद्ड्रा करने की स्वीकृति दे ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--सदन इस कट मोशन को विद्ड्रा करने की इजाजत दे, इससे पहले मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं । कहने की इजाजत दें ।

क्या प्रस्तावक महोदय अपने कट मोशन को वापिस ले रहे हैं ? लेकिन इस पर एक दो शब्द में कहना आवश्यक समझता हूं और वह यह है कि वे इस इस ओर के साथियों पर यह संदेह न करें कि वे जान बूझ कर इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं । मैं नहीं मानता इस बात को, जहां तक प्रस्तावक महोदय के शब्दों का अर्थ समझता हूं अगर . . . . . .

श्री जसवन्तसिंह:--गल्ती साफ कर सकते हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--उन्होंने शब्दों को ठीक समझ कर प्रयोग किया था । मगर मैं यह कहूंगा कि हम इस सदन में चन्द जिम्मेदारियों को लेकर आये हैं और हम उन जिम्मेदारियों को निभावें । उन्हें पूरा करने के लिये कोई भी बात कहने से पहले उसको पूरी तरह समझ कर ही रखनी चाहिये और इस समय जिस रूप में कट मोशन हमारे सामने आया है उसका अर्थ सिवाय उसके कोई दूसरा नहीं हो सकता कि यह प्रेजेन्ट मिनिस्ट्री पर एक अविश्वास का प्रस्ताव है । इस कट मोशन पर यदि मतगणना का समय आता तो भी मैं यह निवेदन करता कि हर एक माननीय सदस्य को मत सोच कर देना होगा कि इसके सार्वजनिक परिणाम जो होंगे उसको देखना है । इस प्रकार के कट मोशन पेश हो जाते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि उस समय के मंत्री-मंडल को उसी क्षण त्यागपत्र देना होता है और उसके आगे दूसरा मंत्री-मंडल बने और वह कौन बनावेगा, किस प्रकार का होगा; इन सब बातों को सोच कर इस प्रकार के प्रस्तावों पर मत दान देना होगा । अब वह सवाल नहीं है क्योंकि प्रस्तावक महोदय अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेना

चाहते हैं। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं, आपकी अनुमति से, कि ऐसे गम्भीर विषयों पर गम्भीरता से प्रस्ताव रखने और विचार प्रकट करने होंगे और अपने मत देने होंगे । मेरे दो तीन मित्रों ने इसको वापिस लेने के लिये कहा मगर मुझे उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी । इसके अलावा और कोई बात होती तो मैं अर्ज करता क्योंकि यह प्रश्न ऐसा नहीं था जिस पर कि मैं रिक्वेस्ट करूं। और कोई बात होती तो रिक्वेस्ट करता। वैसे म अपने मित्रों से बातचीत करता। लेकिन जहां विश्वास-अविश्वास का प्रस्ताव आता है वहां पर में सदस्यों के ऊपर छोडना चाहता हूं कि उस पर वे क्या निर्णय देते हैं ? खैर, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना ह सदन अनुमति देता है उसको वापस लेने के लिए तो अध्यक्ष महोदय उसको वापस ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदयः--सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको वापस लेने की आज्ञा दी जाय या नहीं।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्षः--प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री अवनीकुमारः-जैसी कि मुझे अनुमति मिल गई है उसके अनुसार मैं अपने कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) को वापिस लेता हूं ।

माननीय अध्यक्षः- मैं एक बात पर सदन के सदस्यों की राय चाहूंगा कि जो और कटौती के प्रस्ताव हैं क्या वे सब एक साथ ही ले लिये जायं या अलग २ ?

श्री जसवन्तसिंहः-अध्यक्षजी, मुझे इजाजत हो तो इस संबन्ध में मैं दो चार शब्द कहूं । अगर हाउस की यही मर्जी है कि एक एक कटमोशन पर बहस की जाय तो मेरा ख्याल है कि दो महीने तक भी स हाउस से नहीं निकलेंगे । आम तौर पर, क्या पार्लियामेंट म और क्या हाउस ऑफ कामन्स में और क्या दूसरी विधान सभाओं में, हाउस की सुविधा के लिए और सबकी सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है कि जो कटमोशन्स देने वाले होते हैं उनका हक बोलने का पहले हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कटमोशन देने की तकलीफ की है । बजट डिमांड जैसी आती है उस डिमांड पर जितने कटमोशन्स आये हैं उन सबको मूव करने वाले साहब हैं वे अपने भाषण दे देते हैं । उसके बाद में टाइम होने पर दूसरे सदस्यों को समय दिया जाता है और फिर माननीय मंत्रीजी जिससे कि उनका सम्बन्ध होता है उनको अपने रिमार्क करने का मौका दिया जाता है और बाद में समूचे कट-मोशन पर वोट लिया जाता है । तो इससे हाउस का समय ज्यादा नहीं लगता है और समय के अन्दर २ हम अपना कार्य खत्म कर सकते हैं ।

मेरा यह सुझाव है कि दूसरी विधान सभाओं और अन्य संस्थाओं के समान कटमोशन मूव (कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत) करने वाले को पहले समय

दिया जाय और उसके बाद में कटमोशन मूव कर देने पर दूसरे अन्य सदस्यों को समय दिया जाय। उसके बाद में सम्बन्धित मंत्री महोदय अपने रिमार्क प्रस्तुत करें और उसके बाद में वोट लिया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो मेरी समझ में यह कार्य समय के अन्दर २ समाप्त हो सकेगा, नहीं तो इसके बहुत दिनों तक चलने की सम्भावना ह।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह बाकी के जो कटमोशन्स हैं उनमें से एक इकोनोमिक कट अलहदा ले लिया जाय और बचे हुओं को एक साथ ले लिया जाय।

माननीय अध्यक्ष:–नं० २ इकोनोमिक कट है।

श्री अवनीकुमार:–जैसा कि हमारे नेता ने और जैसा कि माननीय लीडर ऑफ दि हाउस (सदन के नेता) ने कहा कि सबको एक साथ ले लेना चाहिए उसी तरह से ले लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो प्रस्ताव रखा गया कि इसको अलहदा ले लिया जाय और बाकी को अलहदा ले लिया जाय; ठीक नहीं है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर मेरी सहमति ह। लेकिन इकोनोमिक ग्रांट अलग ही चीज है; इसे अलग ही लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष:–इकोनोमिक कट पहले लिया जाता है और उसके बाद में टोकन कट लिए जायेंगे।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–माननीय अध्यक्ष, मेरे कटौती के प्रस्ताव के लफ्ज यह हैं:–

"That the demand under the head 'General Administration' be reduced by a lakh of Rupees (to discuss the question of other charges (5) maintenance and running cost of cars placed at the disposal of Ministers)."

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके द्वारा इस हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे स्वयं ऐसा लगता है कि इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता प्रतीत न होती। लेकिन जो इस कटौती के प्रस्ताव का विषय है जहां तक मेरी जानकारी है, इस सदन के अन्दर और बाहर, उसके सम्बन्ध में काफी चर्चाएं होती रही हैं। और मैं स्वयं तो ऐसा मानता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कटु आलोचनाएं हमें सुनने को मिलती रही हैं और मेरा अनुरोध है कि वह सिलसिला भविष्य के लिए दृढ़ता से बन्द हो। इसी में इस हाउस की शोभा है। इस हाउस में जो मंत्री परिषद् के सदस्य हैं उनकी भी शोभा है और हमारे प्रान्त की भी शोभा है। इसी भावना को लेकर मैंने इस कटौती के प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं नहीं चाहता कि इसको लेकर

हाउस में कोई गलत फहमी पैदा हो । मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने का इरादा नहीं है और मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक वर्तमान मंत्रीमंडल का प्रश्न है, जिसका जीवन इतना अल्प रहा है कि कभी उन्हें भूल करके भी यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि इस मंत्रिमंडल के उन मंत्रियों को लेकर मैंने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है ।

आपने देखा होगा कि बजट के इस मद में मंत्रियों के सम्बन्ध में, मोटर गाड़ियों को चालू रखने तथा उनकी मरम्मत में १,५४,००० रुपये का प्रोविजन किया गया है । मैंने बहुत कोशिश की कि जो साहित्य हमारे सामने मौजूद है या जो हमें दिया गया है और जो हमें उपलब्ध है उससे मैं यह जानने की कोशिश करूं कि वास्तव में क्या यह व्यय कहां तक तर्क संगत है, वाजिब है। लेकिन जो कुछ सामग्री मेरे पास है उसके आधार पर यदि मैं आपसे यह कहूं कि मुझे इस खर्च की वास्तविकता के सम्बन्ध में, उसके औचित्य के सम्बन्ध में बिलकुल संतोष नहीं है तो आप मुझे क्षमा करेंगे । हमारा मंत्री मंडल ७ या ८ सदस्यों का मंत्रीमंडल है और १५,४,००० रुपये के खर्चे को देखते हुए अगर आप थोड़ा सा साधारण हिसाब लगाए तो एक एक मंत्री के लिए जो मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध किया गया है उस पर अनुपात से लगभग १६००) रुपया माहवारी खर्चा बैठता है । एक तरफ मंत्रियों की तनख्वाहें हजार या नौ सौ रुपया है और दूसरी तरफ उनके लिए जो मोटर गाड़ियां रखी जायं उनका खर्चा १६००) रु० से भी अधिक बैठता है । किसी भी तरह से, चाहे वह आप शासन के सम्बन्ध की लें चाहे नैतिकता को चाहे आजकल के राजकाज की जटिलता और जनता के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की बात को लें, इतना खर्चा बहुत अधिक है । मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं बैठती है कि किस प्रकार वास्तव में हमारे मंत्रियों के लिए यह खर्चा आवश्यक है । मैं आप को कोई त्याग की बात या तपस्या की बात नहीं कहता हूं । त्याग और तपस्या किसी के उपदेश से नहीं होती है, यह तो अपनी मन की भावना से होती है । आप त्याग करें या तपस्या करें या न करें, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता मगर हमारे बजट के किसी मद में अगर फिजूल खर्च हो रहा है, या फिजूल खर्च होने की आशंका है या उसके सम्बन्ध में अब तक जो विचार और जो अमल रहा है वह कुछ शिथिल सा नजर आता है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है, अध्यक्ष महोदय, कि हम आपके और इस हाउस के सामने और समस्त मंत्रियों के सामने यह कहें कि कृपाकर इस खर्चे की मद को देखिए कि कहीं इसमें भूल तो नहीं हुई है, कहीं आवश्यकता से अधिक रकम तो इस सम्बन्ध में खर्च नहीं की जा रही है और या जो खर्च किया जा रहा है तो उसे कम करके ऐसी मिसाल कायम कीजिए जिसका असर हमारे शासन तंत्र के अन्यान्य अफसरों और विभागों के कर्मचारियों पर अच्छा, उचित प्रकार से पड़े ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ आपके समक्ष यह निवेदन करना पड रहा है कि जहां तक हमको इस सम्बन्ध में जानकारी है, स्वयं अथवा अपने मित्रों द्वारा, उससे सहसा यह विश्वास नहीं होता है कि जो खर्च मोटर गाड़ियों पर होता है क्या वह मंत्री महोदयों के लिये सर्वथा उचित व्यय है ? मैं कहना

तो नहीं चाहता लेकिन वगैर कहे रहा भी तो नहीं जाता । मैं मानता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा उसको लेकर शायद सामने बैठने वाले मित्रों की ओर से यही सुनने को मिलेगा कि आप तो केवल हमारा विरोध करने के लिए आए हैं। इसके साथ २ अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल ही जो आदेश हमें कृपापूर्वक दिया है उसको ध्यान में रखता हूं । उन्होंने हमें सचेत करके इस प्रान्त का वाचडॉग बतलाया है, तो मैं उनको यह वापस कहना चाहता हूं कि अगर हम इस हाउस के "वाचडॉग" हैं तो आप इस प्रान्त के "ब्लडहाउन्ड्" हैं। आपको देखना है कि आपकी ही देख रेख में आपके ही सम्बन्ध में कोई ऐसा खर्चा तो नहीं हो रहा है जिसको लेकर लोग आपके सम्बन्ध में या हमारे सम्बन्ध में उंगली उठा कर कहें कि देखिए कि इस मंत्री-परिषद् का क्या हाल है कि एक हजार या नौ सौ रुपये तो तनख्वाह मिलती है, उसके अलावा बिजली और पानी का खर्चा अलग और इसके अलावा १६००) रु० माहवार मोटर का खर्चा है। हो सकता है कि यह सब न्याय संगत हो लेकिन मेरी साधारण बुद्धि इन बातों को मानने के लिए मजबूर करती है कि यह खर्चा आवश्यक नहीं है । यह बहुत साधारण व्यय है। इसमें पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। अब तक यह खर्च क्यों होता रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए । अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप मुझ से सहमत होंगे कि मोटर वगैरह को लेकर जो हमारे मंत्री परिषद् के सदस्यों का खर्चा होता रहा है उसके सम्बन्ध में कई २ तरह की अफवाहें सुनने को मिलती है ऐसा मेरे सुनने और देखने में भी आया है, मैं केवल अफवाहों पर इस हाउस के सामने, कोई बात नहीं कहता हूं कि इन गाडियों को वे एक निजी सम्पत्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं । मन्त्री महोदय के सरकारी काम की बात छोड़ दीजिए । जिनके लिए मोटरें आवश्यक हो सकती हैं मैं यह नहीं कहता कि उन कामों में मोटरों का उपयोग नहीं करें लेकिन जो खानगी काम हों, उनके ही नहीं बल्कि उनके सम्बन्धियों के काम हों, उनके मित्रों के काम हों, उनके कुटम्बीजनों के काम हों उनके लिए सरकारी गाड़ियां किस तरह से प्रयोग में लाई जाती है ? क्या सरकारी गाड़ियां बाजार से साग-सब्जी और कोयला-ईधंन लाने के लिए काम में लायी जाती है ? मुझे बड़ा दुःख है इस बात को देखकर । मैं किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में यह बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह बातें अवश्य हुई हैं। मैं जानता हूं कि मौजूदा मन्त्रीमन्डल को पद में आये बहुत थोड़ा समय हुआ है और हम देखेंगे कि आप इन गाडियों का कैसा उपयोग करते है । अब तक जो उपयोग हुआ है वह संतोषप्रद नहीं हुआ । मैं अपनी जानकारी के आधार पर और अपने मित्रों की जानकारी के आधार पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम यह चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने यह दावा कर सकें कि हम अपने प्रान्त में फिजूल खर्चा होने नहीं देना चाहते तो हम सावधानी से काम करें । हमें अपना काम केवल कुछ आदमियों के कहने सुनने से नहीं करना है; लेकिन अपनी आंखें खोलकर करना है । यह हमारी भावना हो, यह हमारा दृष्टिकोण हो । तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े खर्चे को क्यों कर इस बजट में रखा गया है । इसकी जिम्मेदारी हमारे वर्तमान मंत्रिमंडल पर है ।

बजट के साथ साथ इसकी बहुत से स्पष्टीकरण के लिये मेमोरेंडम भी है।

मैंने उनको भी देखने की कोशिश की लेकिन मुझे उसमें खुलासा नहीं मिला। ऐसे २ व्यौरे खर्च के होते हैं जो साधारण बुद्धि की दृष्टि में उचित नहीं ठहरते तो उनके लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण मेमोरेंडम में होने चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे खर्चे को वाजिब समझने के लिए हमारे सामने बडी कठिनाई है। मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आप केवल इस बात को इस लिए न टाल दें कि यह बात एक विपक्ष के आदमी ने आपके सामने रखी है। आपको इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि मैं कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहता हूं। अगर इस बात को आप समझते हैं कि इस प्रान्त के हितों को सम्पादित करने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हम लोगों पर भी है तो हमारा कर्तव्य है कि जहां हम देखें कि खर्चे की ढील-ढाल हो रही है और हमारे साथियों की मनोभावनाएं और धारणाएं कुछ ग़लत नजर आ रही हैं और कुछ ऐसी ही बातें हो रही है जो हमारे लिए अपयश का कारण हो सकती है तो उस समय हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे दृढ़तापूर्वक रोकें।

मेरा आपसे निवेदन है कि महरबानी करके इस मामले को पूरी सावधानी से देखिए और ऐसा फैसला करिये कि जो सही बात हो, जिसमें कोई आवेश का नाम नहीं हो और हमारे और आपके लिए वह शोभा का कारण बन सके; अशोभा या अपयश का नहीं। बस, इन थोड़े से शब्दों को कह कर मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझ से यदि कोई भूल हुई हो तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा इस हाउस से "क्षमा याचना" करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि डिमांड की मद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लाख रुपये से कम कर दिया जाय।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। कई एक बातें इस सदन की जानकारी के लिए और मेरे मित्रों के विचार के लिए में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे माननीय सदस्य ने जो विरोध प्रकट किया वह कोई अनुचित बात नहीं हुई है, बल्कि हर एक सदस्य को अधिकार है कि जो बजट उनके सामने आया है उसके आंकड़ों के विषय में सुझाव दें। जहां तक आय को ज्यादा करने की बात हैं और लापरवाही का जहां तक सवाल है उनकी ओर वे सरकार का ध्यान आकर्षित करें। इसके लिए सरकार उनकी बहुत आभारी है। असल में बजट बनाते समय बड़े मंत्री-मंडल का ध्यान था। इस मंत्री-मंडल में सात सदस्य हैं, पिछले मन्त्री-मन्डल में दस सदस्य थे। बजट बनाते समय हमारे विभागीय अधिकारियों का ऐसा ध्यान था कि आगे भी बड़ा मन्त्रीमन्डल बनेगा; अभी तक यह संभव है। आगे चलकर किसी भी समय मन्त्रीमन्डल की तादाद बढ़ सकती है। इसलिये १४ गाडियों का खर्चा लगाया गया है। १० मंत्रियों के लिए और चार आगन्तुक महमानों के लिए या और अन्य काम के लिए जैसे यदि कोई गाड़ी खराब हो जाय तो उसकी जगह दूसरी गाड़ी भेजने आदि के लिए। इस तरह से प्रति गाड़ी ८००) रुपये मासिक होता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--मैंने अपने हिसाब से निवेदन किया था कि आठ गाड़ियों के लिए १६००) रुपये खर्च करना पड़ता है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--१४ गाडियों का खर्चा है । उसमें कई अन्य खर्चे भी रहते हैं । १४ गाडियों के खर्चे का अनुमान लगाया गया था तो वह प्रति गाडी के हिसाब से आठ सौ रुपया मासिक खर्चा आता है । उन (८००) रुपयों में ड्राइवरों का वेतन, क्लीनर का वेतन, सब सम्मिलित हैं । पेट्रोल न केवल शहर में ही किन्तु शहर से बाहर जब भी मंत्री-गण दौरे में जाते हैं तो उस समय का और डेप्रीसिएशन भी इसमें शामिल है । यह सब चीजें मिलाकर देखने से मालूम होगा कि इसमें बहुत बड़ी गल्ती नहीं मिलती । मैं इसकी ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहता । मैं मानता हूं कि खर्चे पर पूरा नियन्त्रण रहना चाहिये । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस बारे में अच्छी तरह से देखूंगा । इसमें जहां कहीं भी कटौती की जा सकती है की जायगी ।

दो एक बातें माननीय मित्रों ने कही गाडियों के उपयोग के बारे में कि गाड़ियों का उपयोग सब्जी लाने के लिए होता है, ईंधन लाने को होता है । पहले किसी मंत्री ने शायद इस प्रकार की गल्ती की हो; ऐसी मेरी तो जानकारी नहीं । उनकी जानकारी में है तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी भी खर्चे में जहां कहीं भी बचत हो सकती हो तो वह की जायगी; कोई अपव्यय नहीं किया जायगा । मैं स्वयं निजी रूप से इस पर ध्यान रखूंगा । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को मेरे इस आश्वासन से काफी संतोष हो जाना चाहिये, उनकी शंका-समाधान करने के लिए ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मुख्य मंत्री ने जो स्पष्टीकरणकिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं लेकिन उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे, इस मद में जो रकम रखी गई है उसमें कमी करने के लिए तैयार हैं । अगर नहीं तो फिर हमें मजबूरन अपनी स्थिति को दुबारा सोचना पड़ेगा ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था और सदन को यह आश्वासन दिया था कि इस मद में कमी की जा सकती है; हर तरह से कमी करने की कोशिश की जा रही है । जो डिमान्डस फोर ग्रान्ट्स (अनुदानों के लिये मांगे) सामने है इसे सरकार किसी भी तरीके से वापिस करने को तैयार नहीं । सदस्यों को भली भांति सोच लेना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि इस कट मोशन को वापिस लिया जाय ।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धाः--माननीय सदस्य ने जिन फिगर्स की ओर ध्यान दिलाया है शायद वे उसको ठीक तरह से समझ नहीं सके । इसमें उन ड्राइवरों का प्रोवीजन है जो दूसरी गाडियों के लिए रखे गये हैं; गेरेज के जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी इस रकम में व्यवस्था है । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एन्ट्री बतायी गयी है उसमें खलासी, पेट्रोल का खर्चा है । जहां ड्राइवरों का खर्चा बताया गया है गेरेज के डाइवरों का खर्चा भी बताया है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–माननीय अध्यक्ष, बहुत साफ शब्दों में लिखा है। पहले गाड़ियों का खर्चा ऊपर लगाया गया है। बाद में स्पेसिफिकेली वे खर्चे मिनिस्टरों के खर्चे में डेल्ट (dealt) करने के लिए माइनस करके रखा हुआ है। ज्यादा अड़चन की बात नहीं। इस बात को ८ वीं क्लास का विद्यार्थी भी समझ सकता है कि बाकी निकाल कर रखा गया है। माननीय सदस्य को केवल भ्रम हुआ है। मुख्य खर्चा है उसमें से बाकी निकाली गई है। यह खर्चा कहकर दिखाया नहीं जायगा। यह खर्चा मिनिस्टरों की कारों के लिये जो रखा है उसमें बतलाया जा चुका है। माइनस किया गया है।

माननीय अध्यक्षः–अब सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मद को एक लाख रुपये से कम किया जाय या नहीं ?

जो इसके पक्ष में हो वे "हां" कहें

जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें।

श्री जसवन्तसिंहः--अध्यक्ष महोदय, हम हाउस का डिविजन चाहते हैं।

(इस पर विभाजन हुआ)

माननीय अध्यक्षः—एज़ (हां पक्ष) ५८ तथा नोज (ना पक्ष) ८३ (कृपया परिशिष्ट २ देखिये)।

(विराम)

माननीय अध्यक्षः–कट मोशन इज़ लोस्ट (कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)।

माननीय अध्यक्षः--मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहूंगा कि क्या सारे पेज के कटमोशन्स को पढ़ने की आवश्यकता है या यों ही एडॉप्ट कर दिए जायं या जो फॉरमलिटिज हैं ओब्ज़र्व की जायं; अर्थात् कटमोशन पढे जायं और मूव किए जायं।

श्री जसवन्तसिंहः–अध्यक्षजी, मेरा यह सुझाव है कि दूसरी विधान सभाओं में प्रायः ऐसा ही होता है। समय को खराब नहीं करने के लिए मामूली तौर पर पहले कटमोशन "टेकन एज़ रेड" (कटौती-प्रस्ताव पढे हुए समझे) किए जा सकते हैं और मेरा सुझाव है कि इन कटमोशन्स को "टेकन एज़ रेड" लिया जाय क्योंकि हाउस को बहुत कम समय मिलेगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः–यह जो सुझाव रखा गया है मैं उससे सहमत हूं।

श्री गोपीलाल यादवः--माननीय अध्यक्षजी, यह ज्यादा मुनासिब है कि जो कटमोशन के प्रस्ताव रखे गये हैं व कुछ खास उद्देश्यों को लेकर रखे गये हैं जिनमें कि हमें गवर्नमेन्ट को यह बतलाना है कि किस तरह से वे शासन में सुधार कर सकते हैं या खर्चे में कमी कर सकते हैं और अगर उन पर मूवर्स (प्रस्तावकों) को बोलने के लिए टाइम नहीं दिया गया तो उनका उद्देश्य कटमोशन रखने का पूरा नहीं होगा ।

श्री जसवन्तसिंहः--अध्यक्षजी, मेरी समझ में मेरे मित्र गलत समझ गये हैं। जो मूवर्स हैं वे बोलें । इनको एक एक मूवर (प्रस्तावक) खड़ा होकर पढ़े ताकि हाउस का ज्यादा समय खराब न हो ।

माननीय अध्यक्षः-तो यह समझा जाय कि कटमोशन तीन से दस तक मूव (प्रस्तावित) कर दिए गए ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से अभी जो कटमोशन्स हैं वे ही ले लिए जायं ।

श्री कपिलदेव अग्रवालः--अध्यक्ष महोदय, मैंने इस हेड पर चार कटमोशन मूव किये हैं पहला कटमोशन शासन में जो व्यवस्था आज कल है......

(विचार जारी)

श्री गोपीलाल यादवः--पोइंट आफ आर्डर, सर। सबसे पहले नम्बर तीन को बोलना है । आपका नम्बर दस है। नम्बर तीन पर मेरा नाम है । नम्बर थ्री इज ओन माई नेम विच इज ओन नेक्स्ट पेज आफटर नम्बर एट (संख्या ३ मेरे नाम पर है जो कि संख्या ८ के पश्चात् दूसरे पेज पर है) ।

श्री कपिलदेवः--शुड आई स्पीक और माननीय गोपीलाल जी (क्या मैं बोलूं या या माननीय गोपीलालजी)......

माननीय अध्यक्षः-आप बोलिए

(श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये हुए ४ से ७ कटौती प्रस्तावः--

4. That the demand under the head 'Civil Secretariat' be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Government to maintain law and order).

5. That the demand under the head 'Civil Secretariat' be reduced by Re. 1/- (to discuss wrong location of district and sub-divisional head quarters).

6. That the demand under the head 'Civil Secretariat' be reduced by Re. 1/- (to discuss Red Tapism and negligence prevalent in Secretariat staff).

7. That the demand under the head 'Civil Secretariat' be reduced by Re. 1/- (to discuss failure of Procurement Schemes).

श्री कपिलदेव:--अध्यक्ष महोदय, मैंने ४ कटमोशन्स मूव किए हैं उनमें से सबसे पहला लॉ एन्ड आर्डर (कानून तथा व्यवस्था) के बारे में है। वह कानून तथा व्यवस्था आज के शासन में बिगड़ी हुई हालत बाबत है ।) श्री राजप्रमुख के अभिभाषण के वक्त और बजट की जनरल बहस के वक्त राजस्थान में लॉ एन्ड आर्डर की जो हालत है उस पर काफी प्रकाश डाल दिया गया है और माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है, जो वायदा किया है कि बहुत जल्दी ही इस व्यवस्था में सुधार कर देंगे तो उनके इस आश्वासन पर मैं अपने कटमोशन को वापस लेता हूं ।

मेरा दूसरा कटमोशन यह है कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस वक्त जिले और उपजिले बनाये गये थे । वे जिले व उपजिले जिस आधार पर बनाए गए वह आधार सही नहीं था। उस वक्त जो रियासतें या राज्य जैसे; जोधपुर, जयपुर, बीकानेर इत्यादि थे उन्हीं रियासतों से वे जिले बनाए गए थे। आज की व्यवस्था यह है कि एक तरफ एक जिला बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा जिला बहुत छोटा। मैं आपको एक दो उदाहरण दे सकता हूं । तहसील बैराठ कायम होने पर मुकद्दमे-मुन्सिफी के लिए जनता को कोटपुतली जाना पड़ता है और सिविल जजी के लिए जयपुर आना पड़ता है। इस तरह जयपुर हम लोगों के नजदीक होते हुए भी हमको सीकर डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया है। जयपुर जो कि एक बहुत बडा डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए कई दफा प्रार्थना की गई है कि उसको दो जिलों में विभक्त किया जाय लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जिले जो निर्माण हुए, वे गलत तरीके से निर्मित हुए। एक कमेटी बनाई जाय जो इस बात की व्यवस्था करे। उसमें इस हाउस के मेम्बर्स भी शामिल हों और वह सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखे। जिले और उपजिलों को दुबारा बनाया जाय ।

तीसरा कटमोशन राजस्थान सेक्रेट्रियेट (सचिवालय) में फैले हुए नेग्लिजेंस और रेडटेपिज्म के बारे में है । यह सर्व विदित है कि सेक्रेट्रियेट में गया हुआ कागज बारह महीने, दो बरस से पहले नहीं निकल सकता है । (हियर हियर) अगर वह कागज सेक्रेट्री के सामने पेश किया जाता है तो डिप्टी सेक्रेटरी के पास चला जाता है, वहां से असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास और वहां से न मालूम कौन कौन से क्लर्क के पास चला जाता है । कई दफा ऐसी परिस्थिति भी आती है कि कागज का कहीं पता ही नहीं चलता और कागज कहां का कहां चला जाता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब जब कि प्रजातंत्र सरकार है इस बात की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए कि जो मुकद्दमें सेक्रेट्रियेट में जायं जो कागज पेश हों, उनका तो पता लगता ही रहना चाहिये कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और वह कब तक जल्दी से जल्दी निकल जायगा ।

(विचार जारी)

माननीय अध्यक्ष महोदय:--माननीय सदस्यों, जब मैं बीच में हाउस छोड़कर जाता हूं तो माननीय सदस्य खड़े होते हैं इससे सदन के कार्य में बाधा होती है । इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य बैठे रहें, ताकि सदन के कार्य में कोई बाधा न हो ।

(उपाध्यक्ष ने ११-५० पर अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया)

श्री कपिलदेव अग्रवाल:- उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा था कि सेक्रेट्रियेट की जो व्यवस्था है वह बहुत ही गड़बड़ में है; उसमें सुधारने की बहुत आवश्यकता है ।

चौथा कटमोशन मेरा इस बात पर है कि जो प्रोक्योरमेंट किया जाता हैं उससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है । आज आप प्रोक्योरमेंट करते हैं लेकिन जिस तरह से प्रोक्योरमेंट करते हैं उसकी व्यवस्था बिल्कुल गलत है । आप पटवारी के हाथ में वह ताकत दे देते हैं जो मिनिस्टर साहबान को हासिल नहीं है । आप एक गल्ले की निश्चित दर तय कर देते हैं कि एक बीघे के पीछे ८ मन या १० मन के हिसाब से गल्ला लिया जायगा । लेकिन उस पटवारी और गिरदावर के हाथ में यह अधिकार होता है कि किसी के तीन बीघे में अनाज होता है तो उसके १० बीघा लिख देता है और जिसके १० बीघे में होता है तो उसको आधा बीघा ही लिख देता है । इस तरह से रिश्वत मिलने का उसे काफी मौका मिल जाता है और गरीब किसान पिस जाता है । जब कि गल्ले के भाव काफी सस्ते हो गये हैं तो सरकार को प्रोक्योरमेंट की जरूरत नहीं हैं । तो मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि अब प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाय और आइन्दा अगर प्रोक्योरमेंट किया जाय तो प्रोक्योर करने की ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे काश्तकारों को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़े । गल्ला जो प्रोक्योर किया जाता है तो वह रेवेन्यु डिपार्टमेंट के मार्फत होता है और स्टोरेज की व्यवस्था सप्लाई डिपार्टमेंट के मार्फत होती है । यह प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की व्यवस्था एक ही डिपार्टमेंट के मार्फत होनी चाहिए ताकि काश्तकारों को वक्त पर उनके गल्ले के पैसे मिल सकें । आपके सामने ऐसी २ सैकड़ों शिकायतें आई होंगी जिनमें चार चार साल से लोगों को मकान का किराया नहीं मिला है । जो लोग प्रोक्योरमेंट में नौकर हैं उनको सन् ४८-४९ तक की तनख्वाहें नहीं मिली है । इसकी वजह यही है कि दोनों डिपार्टमेंट जो अलग २ हैं उनमें कोओपरेशन (सहयोग) नहीं है और इसलिए जनता और किसान सब परेशान होते हैं । आपको इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री तेजमल बापना:--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम जो कट मोशन मैंने प्रस्तुत किया है उसमें एक वर्ड गलत लिख लिया गया है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

That the demand under the head 'General Administration" Secretariat & Head Quarters Establishment be reduced by

Re. 1/- (to discuss that the Secretariat staff is not (*included*) inclined to afford quick relief to the public in general).

इनक्ल्यूड की जगह इनक्लाइन्ड शब्द था ।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सेक्रेटेरिएट जो जयपुर में है.....

उपाध्यक्ष:–क्रम के अनुसार कट मोशन लिये जांय । पहले श्री गोपीलाल यादव अपना कटमोशन नंबर तीन बोलें ।

(गोपीलाल यादव द्वारा प्रस्तुत किया हुआ कटौती प्रस्ताव)

3. That the demand under the head 'General Administration' be reduced by Rs. 100/- (to discuss the standard of administration which is deteriorating every day............)

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कट मौशन को पेश करने से मेरा मतलब यह है कि मैं सदन के समक्ष यह रखूं कि राजस्थान का शासन गिरता चला जा रहा है । गिरते हुए शासन की जिम्मेदारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर है । मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में दिल और दिमाग का स्थान है इसी तरह का स्थान हमारे शासन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) से मुझे सबसे पहले शिकायत यह है कि हमारा शासन एक सही और आदर्श नीति को लेकर नहीं चल रहा है । मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि कल मेरे मित्र ने मेरे एक शब्द को गलत समझा । वह है पुलिस–राज बजट । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अभिप्राय जो था उसे मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमारे शासन की नीति वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि एक परिवार की होती है । हमारा बजट एक पारिवारिक बजट होना चाहिये; न कि वह ऐसा हो जिसमें हकूमत करने के सम्बन्ध में जैसे पुलिस पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान पर या दूसरों पर ही शासन का बहुत सारा रुपया व्यय कर दें । अगर हम अपने देश के लोगों को कपड़ा, रोटी और मकान देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो वह सरकार अच्छी सरकार कदापि नहीं कही जा सकती । गवर्नमेन्ट की यह ड्युटी है कि देश के अन्दर कोई आदमी भूखा न हो, देश के अन्दर कोई बेरोजगार न हो, वगैर कपड़े के न हो, अशिक्षित न हो, बेसिक स्टेन्डर्ड सब का एक सा हो । किन्तु हमारी गवर्नमेन्ट ये सब सुविधायें लोगों को नहीं दे रही है । पिछले मोशन में यह कहा गया था कि मिनिस्टर्स की तनख्वायें अधिक हैं । मुझे मिनिस्टेरों की तनखा से शिकायत नहीं । मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब चपरासियों, गरीब क्लर्कों की तनखा बहुत कम है । मैं यह कभी कभी सोचने लगता हूं कि जब मिनिस्टरों का खर्चा एक हज़ार रुपये में नहीं चल सकता तो तीस रुपये में एक कर्मचारी का ख़र्चा कैसे चल सकता है ? पांच बच्चों के घर में सूखा भी खा लिया जाय तो कम से कम उसके लिए ४० रुपये से कम में काम नहीं चल सकता । आधा सेर दूध भी लिया जाय तो १५ रुपया मासिक होता है । छटांक भर घी दिया

जाय तो १५–२० रुपये मासिक होजाते हैं । इस तरह से कपड़ा आदि दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देना है । इस तरह से पांच आदमी के परिवार में कम से कम १५०) रुपये चाहिये । उससे उनका कार्य चल सकता है; १५०) रुपये भी थोड़े दिखाई देते हैं । ऐसा करने पर ही शासन में करप्शन (भ्रष्टाचार) मिट सकता है । अधिक से अधिक मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार इतना पैसा नहीं दे सकती तो उन्हें सस्ते मूल्य पर जरूरत की चीजें दी जांय जैसे धोती–जोड़ा १०) रुपये का मिलता है तो उसे दो रुपये में दिया जाय, गेहूं रुपये का बीस सेर दिया जाय और घी चार सेर का दिया जाय । यदि आप इस तरह से उन्हें दे सकते हैं तो कोई बात नहीं । उनकें लिये ३०) रुपया ही काफी होगा । यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इनकी तनखा १५०) रुपये से कम रखना उनको भूखों मारने के बराबर हो जाएगा । खुद का पेट भरजाय, बाकी भूखों मरें–यह नैतिकता नहीं । मैं इसके लिए तैयार नहीं होऊंगा कि जब मिनिस्टरों की तनखा बढ़ायी गई तो नीचे के तकबे पर ध्यान दिया जाना चाहिये । कम से कम देश में कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसकी आमदनी ५००) रुपये से कम हो । आज की हालत में इससे कम में काम नहीं चल सकता । लेकिन में यह मानता हूं कि यह संभव नजर नहीं आता । यदि यह संभव नहीं है तो फिर इसकी ओर थोड़ा बहुत कदम जरूर उठाना चाहिये । यदि हम इस और कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारा शासन ठीक नीति पर नही चलाया जा रहा है ।

एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिस पर मेरे माननीय वित्त मंत्री ध्यान दें । सूर्य समुद्र से पानी लेकर जैसे बादलों द्वारा सारे इलाके को एक जैसा बरसा देता है । धनवान उन समुद्रों की तरह हैं जिनके पास समुद्र में के अथाह जल के समान अथाह पैसा भरा पड़ा है । जिस प्रकार सूर्य समुद्र से पानी खींच कर तालाबों, कूओं इत्यादि को भर देता है उसी प्रकार सरकार रूपी सूर्य को धनवान रूपी समुद्र के पैसे रूपी जल को लेकर गरीब रूपी तालाब और कूओं को भरना चाहिए । इसके विपरित कार्य करने का जो परिणाम हो सकता है वह आप स्वंय जानते हैं । हमारी गवनमेन्ट की नीति है टैक्स बढ़ाने की । बहुत गलत तरीके से यह चल रहा है । उनको रुपया वहां से लेना चाहिये जहां खजाना भरा हुआ है । वहां से लेकर गरीबों में बांट देना चाहिये । जैसे सूर्य से पानी लेकर गरीबों के खेत, तालाब, कूंए आदि भर जाते हैं उसी प्रकार की नीति हमारी नहीं होतीं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे शासन से कोई भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता । मैं इसके साथ ही एक दो बातें और बताना चाहता हूं; वे यह हैं कि हम शासन में यह देखते हैं दरअसल जो खर्च कर रहे हैं ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता कहां कितने आदमियों को रखने की जरूरत रहती है, यह हम नहीं देखते ।

हमारे शासन में पैसे की कमी क्यों आरही है । इसका कारण यह है कि हम यह नहीं देखते कि दरअसल हम खर्चा ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं । जहां जितने आदमियों को रखने की जरूरत है उतने ही आदमियों को रख रहे हैं या ज्यादा को रख रहे हैं । जो काम आज १०० आदमी कर रहें हैं वही काम ५० आदमी अच्छी तरह से कर सकते हैं । मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि हाउस के नेता इसे नोट करेंगे । मत्स्य के

जमाने में हरएक डिस्ट्रिक्ट में एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। नतीजा यह होता है कि जिस कलेक्टर के पास पहले से ही अधिक ड्युटीज होती हैं तकरीबन तकरीबन हर रोज, नहीं तो हर हफ्ता मिनिस्टर महोदय या हैड ओफ दी डिपार्टमेन्ट दौरे पर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाने से कलेक्टर साहब को उनकी हाजरी में रहना पड़ता है और कलेक्टर के यहां जितने केसेज उस दिन रखे होते हैं उन सब की तारीखें बदली जाती हैं। सैकड़ों आदमी जो पेशी पर दूर २ से आते हैं वे योंही वगैर काम हुए चले जाते हैं। लाखों रुपये इस खर्च से जनता का व्यर्थ में बर्बाद हो जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में यदि एक एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट रखा जाय तो केसेज के लिये जनता को सहूलियत हो सकती है। कहते हैं इसमें खर्चा अधिक हो जाता है। यों तो इन स्थानों में एक स्पेशल मेजिस्ट्रेट, एक सीटी मेजिस्ट्रेट और दो एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट रखे गये हैं पर एक एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कम किया गया है। मैं अर्ज करूंगा कि इनमें से एक को रखा जाय और तीन में दो को कम कर दिया जाय तो भी काम अच्छी तरह से चल सकता है और लोगों की तकलीफ भी दूर हो सकती है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शासक, हमारे मंत्रीगण, इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते कि कहां रुपये खराब हो रहे हैं और कहां किसानों और गरीबों को तकलीफ हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शासन में, जैसा कि एक मित्रने बताया है कि साल २ भर तक कागजों का पता नहीं चलता बहुत ढिलाई आ गई है ठीक है। क्या हमारे यहां आदमियों की कमी है ? मैं एक छोटीसी बात बताना चाहता हूं मेरे एक दोस्त जो यहां भी मौजूद है मत्स्य में मेरे साथ थे क्लर्कों ने एक बार स्ट्राइक किया उसमें सब दफ्तरों के बाबू लोग शामिल हुए थे, लेकिन मेरे विभाग का एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि मैंने स्ट्राइक के पहले सबको बुला कर कहा कि तुम लोग २० आदमी काम करने वाले हो और काम करने के लिये यहां नहीं आओगे तो मैं और मेरा सेक्रेटरी आप बीसों आदमियों का काम एक दिन में कर लेंगे। रात दिन बैठ कर काम करेंगे और एक भी कागज विना जवाब दिये नहीं रहने देंगे। अगर ऐसा हम करेंगें तो गवर्नमेन्ट यह समझेगी कि बीस आदमियों का काम इमानदारी से करने वाले २ आदमी कर सकते हैं और जब ऐसा हो सकता है तो फिर इतने आदमियों को रखने की क्या आवश्यकता है और इसके फलस्वरूप आप २० में से १० ही रह जाओगे। इससे वे भयभीत हुए और स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए। क्लर्क्स ओफिसेज में आजकल फालतू बेकार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। जिस काम को करने के लिये १०० आदमी लगाये जाते हैं उसे बड़ी आसानी से ५० आदमी कर सकते हैं; इस तरह से हम बचत कर सकते हैं। और इससे दूसरी चीज हम यह कर सकते हैं कि गरीब छोटे २ मुलाजिमों को हम अच्छी तनखा दे सकते हैं जिसके कारण वे मन लगाकर मेहनत करेंगे। आज उनको यह चिन्ता रहती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा ? बच्चे भूखों मर जाएंगे। ऐसी हालत में वे ड्यूटी अच्छी तरह से कैसे दे सकते हैं ?

दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स की नीति केन्द्र के प्रति बहुत कमजोर है। मैंने पहले भी कहा था और कल के आंकड़ों को देखने

से और भी पक्का हो जाता है कि प्रिवी पर्स का खर्चा सेन्टर ने अपने ऊपर लिया और बाद में यह भार हल्का करने के लिये रेलवे में जो ४५ लाख रुपयों की बचत होती थी इसलिये उन्हें प्रिवी पर्स के काम के लिये ले लिया और उसकी एवज में और कोई फंड सेन्टर ने नहीं दिया। फौज और रेल जिसमें ४५ लाख रुपयों की बचत थी उन्होंने ले लिये। मिलट्री (फौज) पर खर्चा सेन्टर (केन्द्र) को करना चाहिये इसलिये जब मिलट्री का खर्च सेन्टर देती है और रेलवे का डेढ करोड़ रुपया हमसे ले लेती है और हम यह कहें कि सेन्टर ४५ लाख की मदद करती है इसलिये हमें प्रिवी पर्स के ४५ लाख रुपये देने चाहिये। प्रिवी पर्स भी सेन्टर को देना चाहिये और रेलवे की कमी को पूरी करने के लिये सेन्टर को हमें बहुत बड़ी रकम सबसिडी (अतिरिक्ति) के तौर पर और देनी चाहिये और यह तभी हो सकता है जब कि हमारे यहां के मंत्री सेन्टर को इस बात पर मजबूर करें। वे यह ख्याल छोड़ दें कि सेन्टर में पंडित नेहरू हैं नाराज हो जावेंगे; उनको नाराज करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध रखने वाली है, जिसे मेरे मित्र माननीय मास्टर भोलानाथजी भी जानते हैं। मत्स्य में लेवी लेने के हम खिलाफ थे। सेन्टर से ऑर्डर आया कि लेवी लगनी चाहिये। दूसरी सब जगह लेवी लग गई थी। हमारे मंत्री मडल ने कहा कि लेवी नहीं लगनी चाहिये। मैंने कहा कि मैं सेन्टर से इस सम्बन्ध में बात करूंगा। मैंने सेन्टर से कहा कि वगैर लेवी लिये हम अनाज दे सकते हैं आप रेट मुकर्रर कर लीजिये। सेन्टर ने हमारी बात मानली और लेवी नहीं लगी। कोई भी डिमान्ड ठीक तरह से सेन्टर के सामने रखें तो वे जरूर मानेंगे। इस कमजोर नीति से राजस्थान का भविष्य अंधकार में रहेगा। हमारे बेकवर्ड (पिछड़े) होने के नाते भी हमें सेन्टर से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये और और जब हम मदद के तौर पर ज्यादा रुपये लेंगे तभी हमारे यहां के गरीब किसानों की हालत सुधर सकेगी। इन शब्दों के साथ में कट मोशन को पेश करता हूं। यदि इस संबंध में मुझे अच्छा आश्वासन मिला तो मुझे इसे वापिस लेने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री तेजमल बापना:—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति राजस्थान के सेक्रेट्रियेट की है वैसी स्थिति मुश्किल से किसी दूसरे स्टेट में मिलेगी और इसकी सही हालत वही जान सकता है जो किसी काम से सेक्रेट्रियेट में भूल से या काम से चला गया हो। आज वहां सबसे पहले जो बात देखने को मिलती है वह स्टाफ के मुतालिक मिलती है। हरेक डिपार्टमेन्ट में जरूरत से ज्यादा स्टाफ है। कितना स्टाफ चाहिये, कितना नहीं; इसके बारे में मेरे खयाल से कोई अन्दाज नहीं लगाया गया है। जो जहां से आया उसे सेक्रेट्रियेट में भरती कर लिया गया। इसके साथ ही बहुत से स्टाफ के ऐसे मेम्बर्स हैं जिनके पास महिनों से कोई काम नहीं है और किसी किसी के पास तो इतना ज्यादा काम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका वास्तविक कारण जो मैं समझ पाया हूं वह यह है कि सेक्रेट्रियेट स्टाफ के काम का इन्सपेक्शन कभी कोई करता ही नहीं है। यदि कोई करता होता तो पता चलता कि किस प्रकार कागज महीनों से पड़े रहते हैं। दूसरी जगह ऐसा होता है कि हरेक कागज पर रिसीट-डिस्पेच की सील लगाई जाती

है, जिसमें डेट भी होती है और डिस्पेच क्लर्क किसी कागज को एक दो रोज से ज्यादा नहीं रोक सकता। पर यहां तो कागजों का पता तक नहीं चलता। हम लोग जो बाहर से आते हैं वे कागजों के नंबर डेट्स लाते हैं लेकिन यहां उनके नंबरों का पता तक नहीं लगता। भाग्य से कभी पता लग भी गया तो उसकी ऐसी फुटबाल बनाई जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और वहां से कहीं और जगह पहुंच जाता है, जहां कोई आदमी पहुंच नहीं पाता। यह साधारण बात है जो बाहर से आनेवाले व्यक्तियों को सहन करनी पड़ती है। आज जब उत्तरदायी सरकार है तो इस प्रकार की हालत देख कर दिल में रोष पैदा होता है। और इस प्रकार की आज हालत हो तो जन साधारण के दिल में एक रोष पैदा होता है कि दर-असल सरकार का जो केन्द्र है वहां जिन लोगों के साधन हैं, जिनकी पहुंच है, उनका काम तो हो जाता है और जिनके साधन नहीं वे मुंह लटका कर रह जाते हैं। राजस्थान के केन्द्र का जब यह हाल है तो साधारण जिलों की हकूमतों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरी उनके लिये कुछ कोंक्रीट ओपिनियन है कि हर शनिवार को इन्सपेक्शन रखा जावे। इन्सपेक्शन मंत्री महोदय करें या उनको समय न हो तो सेक्रेट्री महोदय इन्सपेक्शन करें। दूसरी बात यह कि वे सब को इस बात की हिदायत करें कि किसी ओफिसर के पास तीन रोज से ज्यादा कोई कागज नहीं रहे। अनेकों बार ऐसा होता है कि जब किसी विषय में कुछ जानकारी हासिल करनी होती है तो उसके लिये कुछ समय की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी एक सप्ताह में कागज पेश करने की हिदायत की जाय। यदि इससे ज्यादा समय तक रोका जावे तो उन लोगों के लिये कुछ पेनल क्लाज रखा जावे। सबसे पहले उनको वारनिंग देकर आगाह किया जावे और यदि उस पर भी वे अपनी आदत नहीं सुधारें तो कुछ फाइन किया जावे; यदि फिर भी ऐसा हो तो उनको बाद में सस्पेन्ड और जैसी भी परिस्थिति हो, डिसमिस किया जाय। इसी लिये मैंने अपना कट मोशन पेश किया है क्योंकि जो व्यवस्था आज चल रही है, दर असल वह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चल सकती और न चलनी चाहिये। इस पर विशेष रूप से गौर किया जाना चाहिये और यदि हमें इस बात का विश्वास दिला दिया जावे कि दर असल इन्सपेक्शन आदि होते रहेंगे और रेड टेप कम हो जावेगा। अभी तो रेड टेप के लिये लोगों को मौका मिला हुआ है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जिनको मैं इस वक्त बताना नहीं चाहता कि जिस शख्स ने पैसे दिये उसका काम सेक्रेट्रियट में दो ही रोज में निकल गया और जिसने पैसा नहीं दिया उसका कागज साल भर तक नहीं निकला। यदि इस पर आश्वासन दे दिया गया तो मैं अपना कट मोशन वापिस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री दामोदरलाल जोशी:—माननीय उध्यक्ष, मेरा यह कटमोशन सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिये पेश किया गया है कि राज्य कर्मचारी राजस्थान के एकीकरण के बाद जयपुर में आये थे उनको रहने के लिये मकानों को एलोट करने का तरीका जिस तरह एडोप्ट किया है वह इतना पक्षपातपूर्ण रहा है कि पक्षपात की नीति से वे मकानात, जो बड़े २ अफसरों को मिलने चाहिये थे उनको न देकर दूसरे छोटे कर्मचारियों को एलोट किये गये हैं। इससे कर्मचारियों में बहुत भारी असंतोष

है। मैंने यह इसलिये पेश किया है कि राज्य कर्मचारियों को मकानात, उनकी तनख्वाह, हैसियत और जरूरत के माफिक एलोट किये जावें। मगर अफशोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बड़े २ अफसरों को उनकी तनख्वाह और हैसियत के माफिक, पक्षपात के कारण, मकानात नहीं दिये गये और बहुत से मुलाजमानों को, जिनको बड़े २ मकानात की जरूरत नहीं और जो उनके पाने के हकदार नहीं, उनको मिले; उनको अधिक किराये के मकानात दिये गए। मैं यह बात आपके और गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाना चाहता हूं और जिस महकमें के जिम्मे मकानों के एलोटमेन्ट का काम है उसके कर्मचारी खुद कम से कम दो ऐसे मकानों में रह रहे हैं जिनका किराया उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा है। इसके अलावा ऐसे बड़े २ अफसर हैं जिनको रहने के लिए एक कमरा भी मुश्किल से मिलता है और आज उनसे १० प्रति सैकड़ा किराया काटा जाता है। माननीय अध्यक्ष, जिसे हम डाक्टर्स लेन कहते है, डाक्टरों के रहने के लिये मकानात बनाये गये। वहां पर डाक्टर रहने चाहिये। मगर वहां से डाक्टरों को हटा कर दूसरे महकमे के ओफिसर हैं। उन्होंने अपने मुलाकात वालों को तमाम मकानात एलोट कर दिये और जिन मकानों में डाक्टर रहते थे उनको शहर में आकर किराये के मकानों में रहना पड़ा और रह रहे हैं। उसका नतीजा आज यह हुआ है कि जरूरत के वक्त डाक्टर आसानी से नहीं बुलाये जा सकते। सेनिटोरियम में डाक्टर का मकान था उसको हटा कर उसका मकान एक अधिकारी को दे दिया गया और वहां अधिकारी रहते हैं। वहां के डाक्टर को नर्सेज के क्वार्टर में जाना पड़ा। मेरा आशय इससे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना है कि इस महकमें में जिस किसी का हाथ रहा है उसको मकान मिल गया है, दूसरों को नहीं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक ताजा मिसाल बताता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार कोफी हाउस के ऊपर रहते थे। वहां से उनको हटाया गया। उनको महज इसीलिये हटाया गया कि उस महकमें के किसी कर्मचारी ने बी० ए० की क्लास जोइन कर रक्खी है। उनको स्टडी करने के लिये यह मकान कॉलेज से नजदीक पडता है; इसलिये यह मकान, डिप्टी रजिस्ट्रार को हटा कर, आपको दिया गया है। इससे ज्यादा क्या पक्षपात की नीति बरती जा सकती है। इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस पर कन्ट्रोल (नियन्त्रण) रखें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना आसन ग्रहण किया)

वे लोग अपने मकान एलोट करने की नीति को इम्पार्शियल (निष्पक्ष) रूप से बरतें और जिन लोगों को मकानात नहीं मिले हैं उनको मकान एलोट कराये जावें। जिन लोगों न बड़े २ मकानात अपनी जरूरत से ज्यादा और हैसियत से ज्यादा दर्जे के ले लिये हैं एलोटमेंट सही तरीके से किये जावें। इसीलिये मैंने यह कट मोशन पेश किया है।

श्री रघुराजसिंह:—माननीय अध्यक्ष नाम में गलती हो गई है। मगर यह मोशन मेरा ही है। इस मोशन के विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें करीब २ वही विषय है जिस पर बहस होकर निर्णय हो चुका है।

इसलिये मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं इसको वापिस लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:-सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि "That the demand under the Head 'General Administration' be reduced by Re. 1/- (to discuss water and electricity charges at the residences of the Hon'ble Minister and maintenance and running cost of cars placed at their disposals.)

इस कट मोशन को वापिस लेना चाहते हैं। इसको वापिस लेने की आज्ञा दी जावे, हाउस अपनी राय दे (दी गई)।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

माननीय अध्यक्ष:-वापिस लेने की आज्ञा के पक्ष में सदन की धारणा है।

श्री रघुराजसिंह:-मैं हाउस की आज्ञा से अपना कट मोशन नम्बर १० वापिस लेता हूं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-माननीय अध्यक्ष, जो कट मोशन माननीय सदस्यों ने रक्खे हैं उनके विषय में अगर थोड़े समय पहले में अपने विचार प्रकट कर सकता तो मैं कहूंगा कि उनको इस प्रकार कट मोशन पेश करने की आवश्यकता भी नहीं होती। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन कट मोशन्स द्वारा, जिन बातों की ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उनको ठीक करने का प्रयत्न कर रही है और उनको ठीक करने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया जावेगा। जिन सदस्यों ने स्पेसिफिक इन्सटेनसेज (विशिष्ट उदाहरण) पेश किये हैं उनके विषय में जांच की जावेगी और जिन लोगों ने गल्तियें की है उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी।

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष मैं यह चाहता हूं कि चूंकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया है इसलिये मैं अपने कट मोशन को वापिस लेना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हाउस इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष:-सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है:-

"That the Demand under the Head 'General Administration' be reduced by Rs. 100/-"

उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

माननीय अध्यक्ष:-वापिस लेने की आज्ञा दी जाती है।

श्री गोपीलाल यादवः—मैं प्रस्ताव संख्या ३ वापिस लेता हूं ।

श्री तेजमल बापनाः—माननीय अध्यक्ष, चूंकि चीफ मिनिस्टर से आश्वासन मिल गया है कि जो बातें हमने बताई है उस पर विचार करके ध्यान देंगे इस लिये मुझे स्वीकृति दी जावे कि मैं अपना कट मोशन वापिस लूं ।

माननीय अध्यक्षः--प्रश्न सदन के सामने उपस्थित हैं ।

"That the Demand under the Head General Administration, Secretariat and Head Quarters Establishment be reduced by Re.1/-".

इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री तेजमल बापनाः—मैं अपने कट मोशन को वापिस लेता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यासः--मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ९ जो कि निम्नलिखित है वापिस लेता हूं:—

That the demand under the head General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the Government policy of allotment of residential houses to Government Servants).

माननीय अध्यक्षः सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि जो प्रस्ताव श्री दामोदरलालजी व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री दामोदरलाल व्यासः--अध्यक्ष महोदय में इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री कपिलदेवः—अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किए हैं वह वापस लेता हूं ।

माननीय अध्यक्षः--यू केन्नोट विद्ड्रा विदाउट दी परमिशन आफ दी हाउस । यू शुड मूव फोर दी विद्ड्राअल टू दी हाउस (बिना सदन की अनुमति के आप वापिस नहीं ले सकते हैं । आप वापिस लेने के लिये सदन से प्रार्थना कीजिये)

श्री कपिलदेवः—वन एट ए टाइम ओर ऑल टुगेदर (एक एक कर के अथवा एक साथ सब ।) ?

माननीय अध्यक्ष:—यू केन विद्ड्रॉ वन एट ए टाइम (आप एक समय एक ही वापिस ले सकते हैं।)

श्री कपिलदेव:--मैं प्रार्थना करता हूं कि कटमोशन नं० ४ को.....आई थिंक आइ हेव आलरेडी विद्ड्रौन इट (मेरा ऐसा ध्यान है कि मैंने इसे वापिस ले लिया है)।

माननीय अध्यक्ष:—हाउ हेव यु विद्ड्रौन (किस प्रकर वापिस लिया है)

श्री टीकाराम पालीवाल:—एज ए मेटर आफ फेक्ट ही नेवर मूव्ड इट। देट इज आल राइट (वस्तुतः इन्होने कभी ऐसा प्रस्ताव ही नहीं किया। यही ठीक बात है)

माननीय अध्यक्ष:--आल दीज कटमोशन्स हेव बीन एडाप्टेड (ये समस्त कटोती प्रस्ताव अभी ही तय कर लिये गए हैं)

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कटमोशन नं० ४ को वापस लेना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रस्तुत प्रश्न यह उपस्थित है कि जो कटोती प्रस्ताव श्री कपिलदेवजी ने रखा है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री कपिलदेव:—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूं।

कटौती प्रस्ताव नं० ५.

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ५ जो है उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है कि श्री कपिलदेवजी ने जो प्रस्ताव नम्बर ५ रखा है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव नं० ५ वापस लेता हूं।

कटौती प्रस्ताव नं० ६.

श्री कपिलदेव:--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ६ वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः--सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि जो कटौती प्रस्ताव नं० ६ श्री कपिलदेव ने रखा है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री कपिलदेवः--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं ६ वापस लेता हूं ।

कटौती प्रस्ताव नं० ७

श्री कपिलदेवः--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ७ वापस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्षः--सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि कटौती प्रस्ताव नम्बर ७ जो श्री कपिलदेव ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री कपिलदेवः--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ७ वापस लेता हूं ।

राजा श्री मानसिंहः--What about my cut motion ?

माननीय अध्यक्षः--आपका प्रस्ताव जो आज ही प्रातःकाल आया था वह नहीं लिया जा सकता है; उसको रिजेक्ट (रद्द) कर दिया गया है ।

माननीय अध्यक्षः--सदन के सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री टीकाराम पालीवाल ने प्रस्तुत किया है कि ३३,९४,४०० रुपये की रकम खर्च करने के लिए ग्रांट नं० ८ मेजर हैड नं० २५ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हेड्ज ऑफ स्टेट्स, केबिनेट एन्ड मिनिस्टर्स आदि को इस वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष- सदन की कार्यवाही अब कल साढे आठ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सभा की कार्यवाही १२-४५ पर समाप्त हुई और सदन की बैठक तारीख १६ अप्रैल १९५२ के ८।। बजे तक के लिए स्थगित की गई)

टाउन हाल
जयपुर
दिनांक १५ अप्रैल सन् १९५२ ई०

मनसाराम पुरोहित,
सचिव, विधान सभा,
राजस्थान ।

परिशिष्ट १

Assembly Question No. 10.

(1) What amount of Privy Purse is paid to the different Rulers of Rajasthan after merger ?

Ans.—The following amounts of Privy Purse are paid to the different Rulers and Chiefs of Rajasthan.

		Amounts decided at the time of integration	Estimates for 1952-53
1	Banswara	1,26,000	1,26,000
2	Bikaner	17,00,000	10,00,000*
3	Bundi	2,81,000	2,81,000
4	Dungarpur	1,98,000	1,98,000
5	Jaipur	18,00,000	18,00,000
6	Jaisalmer	1,80,000	1,80,000
7	Jhalawar	1,36,000	1,36,000
8	Jodhpur	17,50,000	10,00,000*
9	Kishangarh	1,36,000	1,36,000
10	Kotah	7,00,000	7,00,000
11	Kushalgarh	34,775	34,775
12	Lawa	12,500	12,500
13	Mewar (Udaipur)	10,00,000	10,00,000
14	Nimrana	15,000	15,000
15	Partabgarh	1,02,000	1,02,000
16	Shahpura	90,000	90,000
17	Sirohi	2,12,600	2,12,600
18	Tonk	2,78,000	2,78,000
19	Alwar	5,20,000	5,20,000
20	Bharatpur	5,02,000	5,02,000
21	Dholpur	2,64,000	2,64,000
22	Karauli	1,05,000	1,05,000
		1,01,42,875	86,92,875

*The amount of Privy Purse in the case of the Ruler of Bikaner was reduced to Rs. 10 lacs after the demise of the late Maharaja of Bikaner in September 1950 and similarly the Privy Purse of the Ruler of Jodhpur was reduced to Rs. 10 lacs after the demise of the Ruler of Jodhpur in January 1952.

Question No. 10.

(2) What part of the Privy Purse is paid by the Rajasthan Government and what part of the Privy Purse is paid by the Central Government ?

Ans.—The liability for the payment of the Civil List allowances to Rulers and Chiefs of States integrated into Rajasthan is the liability of the Central Government. After the federal financial integration agreement, the Rajasthan Government has to make contribution towards this charge equal to the difference between (a) the expenditure on federal services and the Privy Purse payments, and (b) the revenues accruing in or from federal departments and functions. This difference was fixed at Rs. 40 lacs and that amount is payable in full for the year 1950-51 and reduced progressively by 20% per year over a period of five years. Thus the contributions will be made by this Government in the following manner:—

Year	Amounts (Rs.)
1950-51	40,00,000
1951-52	32,00,000
1952-53	24,00,000
1953-54	16,00,000
1954-55	8,00,000
1955-56	Nil

The remaining amount on this account is paid by the Central Government.

(3) What objection is there if the whole amount of the Privy Purse is paid by the Central Government ?

Ans.—This question was decided in negotiation and as part of the federal financial integration and in terms of the agreement the arrangement as described earlier has already been made and it is not possible to repudiate such an agreement unilaterally.

परिशिष्ट २

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY.

DIVISION LIST.

AYES

Cut Motion No. 2 Grant No. VIII in the order of the day.

Dated the 15th April, 1952

(पृष्ट ४२ देखिये)

S. No.	Division No.	Member's Name
1		Shri Abani Kumar
2		Shri Rajadhiraj Amar-Singh
3		Shri Bhairon Singh (from Sojat Desuri Constituency)
4		Shri Bhairon Singh (from Bali Desuri Constituency)
5		Shri Bhairon Singh (from Rajsamand-Relmagra Constituency)
6		Shri Bhanu Pratap Singh
7		Shri Bheron Singh (of Danta Ramgarh)
8		Shri Th. Bhim Singh
9		,, Bhopal Singh
10		,, Raj Kumar Brijendra Pal
11		,, Chandra Kant Rao
12		,, Chittar Lal
13		,, Th. Dharam Chand
14		,, R. S. Dilip Singh
15		,, Ganga Singh
16		,, Ganpat Singh
17		,, Gopal Singh
18		,, Gopi Lal Yadav
19		,, Hanwant Singh
20		,, Hari Singh
21		,, Himmat Singh (of Atru)
22		,, Inder Nath Modi

S. No.	Division No.	Member's Name
23		Shri Ishwar Singh
24		,, Jagat Singh
25		,, Jaswant Singh
26		,, Jawan Singh
27		,, Jeyendra Singh
28		,, Kan Singh
29		,, Keshri Singh (of Sojat Main)
30		,, Keshri Singh (of Nagaur West)
31		,, Kesri Singh (of Patan)
32		,, Kesri Singh (of Mandalgarh)
33		,, Khet Singh
34		,, Kishore Singh
35		,, Lal Singh
36		,, Madan Mohan
37		,, Th. Madho Singh
38		,, Madho Singh
39		,, Man Singh
40		,, Raja Man Singh
41		,, Mohabat Singh
42		,, Mota Ram
43		,, Nathu Singh
44		,, Partab Singh
45		,, Partap Singh
46		,, Pyare Lal
47		,, Raghuraj Singh
48		,, Rup Narain
49		,, Sajjan Singh
50		,, Sangram Singh
51		,, Maharawal Sangram Singh

S. No.	Division No.	Member's Name	S. No.	Division No.	Member's Name
52		Shri Rao Raja Sardar Singh	55		Shri Tan Singh
			56		„ Tej Raj Singh Gainta
53		„ Shambhu Singh	57		„ Kr. Tej Singh
54		„ Sribhan Singh	58		„ Umed Singh

परिशिष्ट २

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY.

DIVISION LIST.

NOES.

Cut Motion No. 2, Grant No. VIII in the order of the day.

Dated the 15th April, 1952.

(पृष्ट ४२ देखिये)

S. No.	Division No.	Member's Name	S. No.	Division No.	Member's Name
1		Shri Amrit Lal Yadav.	16		Shri Chunni Lal
2		„ Badri Lal Vakil	17		„ Dalip Singh
3		„ Badri Prasad	18		„ Damodar Lal
4		„ Balvir	19		„ Deen Bandhu
5		„ Belji	20		„ Dhram Pal
6		„ Bhagwan Singh	21		„ Dhulji
7		„ Bhairav Lal Kala Badal	22		„ Durlabh Singh
			23		„ Ghasi Ram
8		„ Bhawani Sahai	24		„ Ghasi Ram Yadava
9		„ Bhogi Lal Pandya	25		„ Ghisi Singh
10		„ Bhola Nath	26		„ Gulab Chand Kasliwal
11		„ Bishambhar Nath Joshi	27		„ Sandhu Gurdayal Singh
			28		„ Hans Raj (of Bhadra)
12		„ Chandan Mal	29		„ Hans Raj (of Bari)
13		„ Chand Mal	30		„ Hari Dev
14		„ Chhanga	31		„ Hari Ram
15		„ Chhotu Singh	32		„ Hari Shankar Sidhant Shastri

S. No.	Division No.	Member's Name	S. No.	Division No.	Member's Name
33		Shri Harlal Singh	59		Shri Nathu Ram
34		,, Hazari Lal Sharma	60		,, Prabhu Dayal
35		,, Jai Chand	61		,, Radha Kishna
36		,, Kanwar Lal	62		,, Ch. Ram Chandar
37		,, Kapil Deo	63		,, Ram Dayal
38		,, Kastoor Chand	64		,, Ramji Lal Yadev
39		,, Kishan Lal	65		,, Ram Kishore
40		,, Ch. Kumbha Ram	66		,, Ram Lal Bansiwal
41		,, Ladu Ram Chowdhri	67		,, Ram Ratan
42		,, Lal Bahadur	68		,, Ridhi Chand
43		,, Lalu Ram	69		,, Roshan Lal
44		,, Laxman Bhil	70		,, Sampat Ram
45		,, Madho Lal (Mehar)	71		,, Shah Alimuddin
46		,, Mahadev	72		,, Shri Dass Goel
47		,, Dr. Mangal Singh (of Bari)	73		,, Srigopal Bhargava
48		,, Manna	74		,, Shyam Lal
49		,, Manphool Singh	75		,, Sohan Lal
50		,, Mathura Dass	76		,, Soma
51		,, Mohammad Ibrahim	77		,, Sugan Chand Jain
52		,, Mohan Lal Sukhadia	78		,, Tej Mal
53		,, Moti Chand	89		,, Tej Pal
54		,, Moti Lal	80		,, Tika Ram Paliwal
55		,, Moti Ram	81		,, Triveni Shyam Sharma
56		,, Mukti Lal Modi	82		,, Udai Lal
57		,, Narayan Chaturvedi	83		,, Vedpal Tyagi
58		,, Narayan Lal			